



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ८
५ फाल्गुन १९४२ (श०)
पटना, बुधवार, —————
२४ फरवरी २०२१ (ई०)

विषय-सूची	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-१-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	२-२८	
भाग-१-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-१-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-१-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-२-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	
भाग-३-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-४-बिहार अधिनियम	---	
भाग-५-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-७-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-८-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-९-विज्ञापन	---	
भाग-९-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-९-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	२९-२९	
पुरक	---	
पुरक-क	३०-३९	

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

12 जनवरी 2021

सं० निग/सारा-1 (पथ) आरोप-57/2018-212(s)—OPRMC (Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) के अन्तर्गत पथ प्रमंडल, कोचस के पैकेज सं०- 61 में सासाराम-चौसा राज्य उच्च पथ के संधारण में पायी गयी अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना सं०-9691 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक-9692(एस) दिनांक 20.12.2018 द्वारा श्री सुनील कुमार सुमन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कोचस को निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 02 (एस) दिनांक 01.01.2019 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री सुमन का निलम्बन अवधि बारह माह से अधिक हो गया है। अतएव उनके निलंबन के बारह माह से अधिक हो जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 10(01)(i) में अंतर्निहित प्रावधानों के आलोक में उनको देय जीवन निर्वाह भत्ता में 50 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 75 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान अनुमान्य किया जाता है।

3. विभागीय अधिसूचना सं०- 9691 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक- 9692 (एस) दिनांक 20.12.2018 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

12 जनवरी 2021

सं० निग/सारा-4(पथ) आरोप-76/2019-214(s)—श्री अजय कुमार, सहायक अभियंता, विशेष पदाधिकारी (यातायात), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संधारित संचिका संख्या- प्र०-7/विविध-03-45/2019 के पृष्ठ-02/टि० पर Overwriting करते हुए दिनांक 22.01.2019 के स्थान पर दिनांक 31.01.2019 किये जाने, मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार के द्वारा संशोधित अनुशंसा में एक के स्थान पर दो निविदादाता अंकित करते हुए M/S Maa Construction को असफल निविदादाता में जोड़े जाने तथा सफल निविदादाता की सूची में से M/S Maa Construction का नाम काटने तथा टिप्पणी में दिनांक 31.01.2019 की अनुशंसा का उल्लेख करते हुए संचिका दिनांक 29.01.2019 को उपस्थापित किये जाने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-3367 (एस) अनु० दिनांक 04.06.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री कुमार द्वारा उनके पत्रांक-शून्य दिनांक 18.06.2020 द्वारा उनका स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से सम्भावित आदर्श आचार संहिता (लोकसभा चुनाव-2019) के मद्देनजर युद्ध स्तर पर निविदा निष्पादन की कार्यवाही किये जाने एवं अत्याधिक कार्य बोझ का संदर्भ देते हुए "Slip of Pen" के कारण संचिका उपस्थापन के समय दिनांक 29.01.2019 अंकित हो जाने का उल्लेख किया गया है।

3. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री कुमार की स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया, क्योंकि Tender जैसे संवेदनशील मामले में Slip of Pen जैसी लापरवाही पूरे Proceeding को Vitiate कर सकती है। अगर मात्र Slip of Pen हुआ था तो उनकी जिम्मेवारी थी की इस तथ्य को संचिका में पूर्व में ही उल्लेखित कर देते ताकि इस प्रकार की विषम परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती।

4. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। परन्तु यह भी सही है कि उनके इस Over Writing के कारण Tender के निर्णय पर किसी प्रकार का असर नहीं हुआ है।

अतएव विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा के क्रम में श्री कुमार के पत्रांक-शून्य दिनांक 18.06.2020 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को सम्यक् विचारोपरांत अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के उपनियम-(i) के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

(i) "निन्दन (आरोप वर्ष 2019-20)" ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

12 जनवरी 2021

सं० निग/सारा-4(पथ) आरोप-76/2019-216(s)—श्री रामावतार साह, तत्कालीन मुख्य अभियंता (उत्तर), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा मुख्य अभियंता, उत्तर के पदस्थापन काल में पथ प्रमंडल, छपरा अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Work for the Roads under Package- OPRMC-2/25A/Chapra कार्य के निविदा से संबंधित मामले में निरंतर परिवाद दायर होने की स्थिति में भी उनके स्तर से Legality Clearly Examine किये जाने के बजाय एक ही बिन्दु पर TEC की चार-चार बैठक कराने के कारण Complexity उत्पन्न हुयी जो Avoidable था। यह मुख्य अभियंता (उत्तर) के रूप में उनके स्तर पर Indecision परिलक्षित होने के कारण विभागीय पत्रांक- 3371 (एस) अनु० दिनांक- 04.06.2020 द्वारा श्री साह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

2. उक्त के आलोक में श्री साह द्वारा उनके पत्रांक- शून्य दिनांक- 17.07.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री साह द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रश्नगत मामले से संबंधित सम्पूर्ण घटनाक्रम का विस्तृत उल्लेख करते हुए मुख्य रूप से अंकित किया गया कि तकनीकी बीड का मूल्यांकन "तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति" के द्वारा किया जाता है, जिसके अनुशंसा पर विभागीय निविदा समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है।

3. उक्त के आलोक में श्री साह के पत्रांक- शून्य दिनांक- 17.07.2020 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री रामावतार साह, तत्कालीन मुख्य अभियंता (उत्तर), पथ निर्माण विभाग द्वारा इस सम्पूर्ण मामले में पर्यवेक्षण का अभाव रहा है तथा इतने वरीय पदाधिकारी होने के बावजूद Decision Making में अनिश्चितता के कारण माननीय उच्च न्यायालय में सरकार के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी अंकित किया गया है।

अतएव विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा के क्रम में श्री रामावतार साह, तत्कालीन मुख्य अभियंता (उत्तर), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- शून्य दिनांक- 18.06.2020 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को सम्यक् विचारोपरांत अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के उपनियम -(i) के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

(i) "निन्दन (आरोप वर्ष 2019-20)" ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

19 जनवरी 2021

सं० प्र०2/स्था०-वृ०उ०-21-01/2020-414(s)—राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-3/एम०-2-5-वे०पु०-28/99/4685 (वि०)-2, दिनांक 25.03.2003 द्वारा अधिसूचित "बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2003" दिनांक 09.08.1999 के प्रभाव से प्रवृत्त किया गया। जिसके प्रावधान के अनुसार 12/24 वर्ष की लगातार संतोषप्रद सेवा पूर्व होने पर दो वित्तीय उन्नयन प्रोन्नति के पदसोपान में अनुमान्य है। वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-6068, दिनांक 16.06.2013 द्वारा सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना दिनांक 12.07.2010 तक प्रभावी किया गया। षष्टम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय प्रावधान को अपनाते हुये वित्त विभाग के संकल्प संख्या-7566 दिनांक 14.07.2010 द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन, 2010 दिनांक 01.01.2009 से प्रभावी किया गया। इस योजना के प्रावधान के अनुसार तीन (क्रमशः 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर) वित्तीय उन्नयन वेतन-बैंड/ग्रेड पे के सोपान में अनुमान्य है। सप्तम वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त वित्त विभाग के पत्रांक-3ए-2-वे०पु०-08/ 2017-8928/वि०, दिनांक 15.11.2017 के कंडिका-2 (ii) द्वारा यह प्रावधान किया गया है, कि वैसे राज्य सेवा के पदाधिकारी, जिनका मूल कोटिय वेतनमान PB-2+4800/- अथवा PB-2+5400/- स्वीकृत रहा तथा उन्हें चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर in-situ उत्क्रमण के तहत PB-3+5400/- का वेतनमान अनुमान्य किया गया है, को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव के वेतन स्तर-9 में वेतन पुनरीक्षण किया जायेगा। चार वर्ष की सेवा पूरी होने तथा सेवा सम्पुष्टि के उपरान्त PB-3+5400/- में in-situ उत्क्रमण, जिसे पूर्व में एम०ए०सी०पी० के तहत एक वित्तीय उन्नयन माना गया था, को अनदेखी की जायेगी तथा ऐसे पदाधिकारी को नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष अथवा दिनांक 01.01.2016, जो बाद में हो, से प्रथम एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-11 के अनुमान्य होगा।

2. उपरोक्त प्रावधानों तथा इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग-2 के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधे नियुक्त संलग्न सूची में अंकित पदाधिकारियों को सम्यक विचारोपरान्त कालावधि के अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम-6 (B) में अंकित तिथि से उक्त कॉलम में अंकित वेतनमान में प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन/रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन, कॉलम-7 (B) में अंकित तिथि से उक्त कॉलम में अंकित वेतनमान में द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन/रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन एवं कॉलम-8 (B) में अंकित तिथि से उक्त कॉलम में अंकित वेतनमान में तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता है।

3. स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या-630, दिनांक 21.01.2010 के कंडिका-12 में अथवा वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-3ए०-2-वे०पु०-09/2016-3590, दिनांक 24.05.2017 की कंडिका-11 एवं वित्त विभाग के पत्रांक-3ए०-2-वे०पु०-08/2017-8928/वि०, दिनांक 15.11.2017 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।

4. यह वित्तीय उन्नयन, व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।

5. यदि पूर्व में सामान ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति दी गयी है तो उसे इस हद तक संशोधित समझा जाय। (उदाहरण के रूप में यदि किसी अभियंता को प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति पूर्व में दी गयी है तथा इस अधिसूचना में भी प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० स्वीकृत की गयी है तो इस अधिसूचना के हद तक उक्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० संशोधित समझी जायेगी)

6. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित ओदश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली उनसे कर ली जायेगी।

प्रस्ताव पर विभागीय स्क्रीनिंग समिति के अनुशंसा के उपरान्त सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलजा शर्मा, संयुक्त सचिव।

क्र०	सहायक अभियंता का नाम	वर्ष 2011 का वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि/ सेवा निवृत्ति की तिथि	प्रथम योगदान की तिथि/ सेवा सम्पुष्टि की तिथि	प्रथम सुनिश्चित/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन		द्वितीय सुनिश्चित/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन		तृतीय सुनिश्चित/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन		अभ्युक्ति
					देय तिथि से पूर्व का वेतनमान	देय तिथि एवं वेतनमान	देय तिथि से पूर्व का वेतनमान	देय तिथि एवं वेतनमान	देय तिथि से पूर्व का वेतनमान	देय तिथि एवं वेतनमान	
1	2	3	4	5	6A	6B	7A	7B	8A	8B	9
1	श्री अरविन्द कुमार	177 EE	15-11-1961 30-11-2021	18-06-1987 08-01-2003	—	—	—	—	Level-12	01-07-2019 Level-13	देय तिथि 18.06.2017 किन्तु संसूचित दंड के प्रभाव की समाप्ति की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० स्वीकृत।
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद राजन	195 EE	06-08-1961 31-08-2021	14-07-1987 03-07-2004	—	—	—	—	Level-12	01-07-2019 Level-13	देय तिथि 14.07.2017 किन्तु संसूचित दंड के प्रभाव की समाप्ति की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० स्वीकृत।
3	श्री सत्तार खलीफा	198 EE	08-01-1962 31-01-2022	29-06-1987 03-07-2004	—	—	—	—	Level-12	01-07-2019 Level-13	देय तिथि 29.06.2017 किन्तु संसूचित दंड के प्रभाव की समाप्ति की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० स्वीकृत।

4	श्री विनय कुमार	221 EE	02-05-1960 31-05-2020	08-07-1987 08-01-2003	—	—	—	—	Level-12	01-07-2019 Level-13	देय तिथि 08.07.2017 किन्तु संसूचित दंड के प्रभाव की समाप्ति की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० स्वीकृत।
5	श्री इम्तियाज अहमद	226 EE	10-01-1962 31-01-2022	03-07-1987 03-07-2004	—	—	PB-3+Grade Pay 6600/-	01-04-2012 PB-3+Grade Pay 7600/-	—	—	देय तिथि 01.01.2009 किन्तु संसूचित दंड के प्रभाव की समाप्ति की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० स्वीकृत।
6	श्री सुशील कुमार	244 EE	01-01-1960 31-12-2019	15-02-1989 5582 (S) 06-08-2005	—	—	PB-3+Grade Pay 6600/-	15-02-2009 PB-3+Grade Pay 7600/-	—	15-02-2019 Level-13	
7	मो० सैफुल्लाह	324 EE	02-03-1961 31-03-2021	16-06-1987 31-10-2006	—	—	—	—	Level-12	16-06-2017 Level-13	
8	श्री कमर आलम	248 A/EE	09-01-1964 31-01-2024	10-07-1987 03-07-2004	—	—	—	—	Level-12	01-07-2020 Level-13	देय तिथि 10.07.2017 किन्तु संसूचित दंड के प्रभाव की समाप्ति की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० स्वीकृत।
9	श्री सत्येन्द्र सिंह	255 A/EE	22-01-1962 31-01-2022	15-07-1987 08-01-2003	—	—	—	—	Level-12	01-07-2020 Level-13	देय तिथि 15.07.2017 किन्तु संसूचित दंड के प्रभाव की समाप्ति की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० स्वीकृत।
10	श्री श्यामाशरण तिवारी	292 A/EE	05-04-1961 30-04-2021	31-07-1987 06-08-2005	—	—	—	—	Level-12	01-04-2019 Level-13	देय तिथि 31.07.2017 किन्तु संसूचित दंड के प्रभाव की समाप्ति की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० स्वीकृत।
11	श्री उमाकान्त रजक	449 EE	30-11-1966 30-11-2026	05-08-1989 22-02-2007	—	—	—	—	Level-12	05-08-2019 Level-13	
12	श्रीमती रीना सहाय	415 EE	23-01-1965 31-01-2025	15-11-1989 22-02-2007	—	—	—	—	Level-12	15-11-2019 Level-13	
13	श्री कैलाशपति सिंह	416 EE	05-01-1960 31-01-2020	01-08-1989 22-02-2008	—	—	—	—	Level-12	01-08-2019 Level-13	
14	श्री प्रवीण चन्द्र गुप्ता	421 EE	14-05-1965 31-05-2025	09-08-1989 22-02-2007	—	—	—	—	Level-12	09-08-2019 Level-13	
15	श्री कासिम अंसारी	425 EE	01-11-1964 31-10-2024	02-08-1989 22-02-2008	—	—	—	—	Level-12	02-08-2019 Level-13	
16	श्री असलम मसूद	426 EE	28-10-1963 31-10-2023	08-08-1989 22-02-2007	—	—	—	—	Level-12	08-08-2019 Level-13	
17	श्री सहाब आलम	427 EE	01-06-1964 31-05-2024	04-08-1989 22-02-2007	—	—	—	—	Level-12	04-08-2019 Level-13	
18	श्री आलम हुसैन	436 EE	25-01-1960 31-01-2020	25-07-1989 27-10-2004	—	—	—	—	Level-12	25-07-2019 Level-13	
19	श्री कमल किशोर प्रसाद	439 EE	15-11-1965 30-11-2025	28-10-1989 04-10-2007	—	—	—	—	Level-12	28-10-2019 Level-13	

20	श्री अजय कुमार	57 AE	19-03-1964 31-03-2024	13-02-1989 31-10-2006	—	—	PB-3+Grade Pay 6600/-	13-02-2009 PB-3+Grade Pay 7600/-	—	01-07-2019 Level-13	देय तिथि 13.02.2019 किन्तु संसूचित दंड के प्रभाव की समाप्ति की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० स्वीकृत।
21	श्री शिव शंकर कापरी	342 AE	02-01-1959 31-01-2019	30-04-1998 16-12-2009	—	—	Level-11	30-04-2018 Level-12	—	—	
22	श्री केदार प्रसाद साहु	243 AE	22-11-1962 30-11-2022	22-04-1998 11-08-2010	—	—	Level-11	22-04-2018 Level-12	—	—	
23	श्री विजय कुमार चौधरी	358 AE	12-07-1959 31-07-2019	15-09-1998 11-08-2010	—	—	Level-11	15-09-2018 Level-12	—	—	
24	श्री जितेन्द्र कुमार शाही	376 AE	03-09-1959 30-09-2019	26-06-1999 11-08-2010	Level-09	01-01-2016 Level-11	—	26-06-2019 Level-12	—	—	
25	श्री ललित कुमार	153 AE	25-11-1966 30-11-2026	15-07-1995 04-10-2007	—	—	Level-11	01-07-2018 Level-12	—	—	देय तिथि 15.07.2015 किन्तु संसूचित दंड के प्रभाव की समाप्ति की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० स्वीकृत।
26	श्री सूर्यमूषण प्रसाद EE 05-08-2008 आर्थिक लाभ भुगतान की तिथि 30.10.2009	9 EE (Mech.)	13-03-1962 31-03-2022	09-05-1997 01-12-2006	PB-3+Grade Pay 5400/-	01-01-2009 PB-3+Grade Pay 6600/-	—	09-05-2017 Level-12	—	—	
27	श्री मनोज कुमार EE 05-08-2008 आर्थिक लाभ भुगतान की तिथि 30.10.2009	11 EE (Mech.)	16-01-1971 31-01-2031	09-05-1997 01-12-2006	PB-3+Grade Pay 5400/-	01-01-2009 PB-3+Grade Pay 6600/-	—	09-05-2017 Level-12	—	—	
28	श्री काशी नाथ साव सेवा निवृत्त कार्यपालक अभियंता	337 EE	21-01-1958 31-01-2018	24-07-1987 06-08-2005	—	—	—	—	Level-12	24-07-2017 Level-13	
29	श्री राम कृष्ण प्रसाद	123 AE	28-06-1965 30-06-2025	03-01-1995 22-02-2008	—	—	Level-11	01-07-2019 Level-12	—	—	देय तिथि 03.01.2015 किन्तु संसूचित दंड के प्रभाव की समाप्ति की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० स्वीकृत।
30	श्री सुनील कुमार	842 AE	05-07-1973 31-07-2033	23-09-2008 02-06-2012	Level-09	23-09-2018 Level-11	—	—	—	—	
31	श्री रितेश चन्द्र सिन्हा	870 AE	02-08-1975 31-08-2035	11-08-2008 06-08-2010	Level-09	11-08-2018 Level-11	—	—	—	—	

32	श्री रवि कान्त	886 AE	26-04-1977 30-04-2037	10-09-2008 11-08-2010	Level-09	10-09-2018 Level-11	—	—	—	—	
33	श्री मिहिर कुमार मिश्र		25-01-1962 31-01-2022	तदर्थ योगदान 29.06.1987 नियमित नियुक्ति 28.03.2012 सेवा सम्पुष्टि 28.03.2014	—	—	—	—	Level-12	29-06-2017 Level-13	
34	श्री बाल कृष्ण सहाय	663 AE	15-03-1960 31-03-2020	तदर्थ योगदान 30.06.87 नियमित योगदान— 03.04.07 सम्पुष्टि अधि०—11134 (एस) दिनांक 30.09.2011	—	—	—	—	Level-12	30-06-2017 Level-13	श्री बाल कृष्ण सहाय, तत्कालीन सहायक अभियंता को विभागीय अधिसूचना संख्या—10871 (एस) दिनांक 27.11.2017 के क्रमांक—121 पर कॉलम—9 में स्वीकृत तृतीय एम०ए०सी०पी० को वित्त विभागीय पत्रांक—8928 दिनांक 15.11.2017 के आलोक में इस अधिसूचना के कॉलम—8 के हद तक संशोधित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
शैलजा शर्मा, संयुक्त सचिव।

19 जनवरी 2021

सं० प्र०२/स्था०—वृ०उ०—21-04/2018-419(s)—राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या—3/एम०—2-5-वे०पु०—28/99/4685 (वि०)—2, दिनांक 25.03.2003 द्वारा अधिसूचित “बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली—2003” दिनांक 09.08.1999 के प्रभाव से प्रवृत्त किया गया। जिसके प्रावधान के अनुसार 12/24 वर्ष की लगातार संतोषप्रद सेवा पूर्व होने पर दो वित्तीय उन्नयन प्रोन्नति के पदसोपान में अनुमान्य है। वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या—6068, दिनांक 16.06.2013 द्वारा सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना दिनांक 12.07.2010 तक प्रभावी किया गया। षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय प्रावधान को अपनाते हुये वित्त विभाग के संकल्प संख्या—7566 दिनांक 14.07.2010 द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन, 2010 दिनांक 01.01.2009 से प्रभावी किया गया। इस योजना के प्रावधान के अनुसार तीन (क्रमशः 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर) वित्तीय उन्नयन वेतन—बैंड/ग्रेड पे के सोपान में अनुमान्य है। इस योजना की शर्त एवं प्रक्रिया के कंडिका—26 (ख) के अंतिम वाक्य में प्रावधान है कि “यदि सरकारी सेवक को दो नियमित प्रोन्नति दी गई हो अथवा 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के बाद अगस्त, 1999 की सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण दिया गया हो तो उसे 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन मात्र तृतीय वित्तीय उत्क्रमण अनुमान्य होगा, बशर्ते कि अपने पद सोपान में वह तृतीय प्रोन्नति प्राप्त न किया हो।” इस संदर्भ में विभागीय संचिका संख्या—प्र०२/स्था०वि०उ०—21-04/2018 में वित्त विभाग द्वारा परामर्श प्राप्त है कि “यदि 30 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति मिल चुका हो तो 30 वर्ष की सेवा के उपरान्त **PB-4+8900/- (Level-13A)** में तृतीय MACP अनुमान्य होगी अन्यथा स्थिति में नहीं। यदि 30 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व अधीक्षण अभियंता के पद पर दी गई प्रोन्नति के फलस्वरूप निर्धारण लाभ दिया गया हो, तो तृतीय MACP में निर्धारण लाभ नहीं दिया जाएगा, केवल **Level-13A fit-in** किया जाएगा, क्योंकि पूर्व में ही इन्हें मूल कोटि से उपर तीन निर्धारण लाभ स्वीकृत किया जा चुका है।” सप्तम वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त वित्त विभाग के पत्रांक—3ए—2-वे०पु०—08/2017—8928/वि०, दिनांक 15.11.2017 द्वारा राज्य सेवा के पदाधिकारियों का ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का वेतन लेवल में स्वीकृति, पुनरीक्षण एवं निर्धारण हेतु मार्ग दर्शन निर्गत है।

2. उपरोक्त प्रावधानों तथा इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग—2 के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधे नियुक्त तथा 30 वर्षों की सेवा के पूर्व अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नत पथ निर्माण विभाग संवर्ग के निम्नलिखित अभियंताओं को सम्यक विचारोपरान्त कालावधि के अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम—6 (B) में अंकित तिथि से उक्त कॉलम में अंकित वेतनमान में तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	वर्ष 2011 का वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि / सेवा निवृत्ति की तिथि	प्रथम योगदान की तिथि / सेवा सम्पुष्टि की तिथि	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन		अभ्युक्ति
					देय तिथि से पूर्व का वेतनमान	देय तिथि एवं वेतनमान	
1	2	3	4	5	6A	6B	7
1	श्री मनोज कुमार SE-17.06.2016 CE-23-05-2018	140 EE	25-10-1960 31-10-2020	18-06-1987 03-07-2004	Level-13	18-06-2017 Level-13 A	
2	श्री सुब्रत सरकार SE-17.06.2016 CE-23-05-2018	144 EE	01-01-1961 31-12-2020	26-06-1987 08-01-2003	Level-13	26-06-2017 Level-13 A	
3	श्री सुरेश कुमार SE-11.02.2011	229 EE	18-04-1962 30-04-2022	25-07-1987 06-08-2005	Level-13	25-07-2017 Level-13 A	
4	श्री हनुमान प्रसाद चौधरी SE-22.06.2016	142 EE	06-06-1962 30-06-2022	01-07-1987 03-07-2004	Level-13	01-07-2017 Level-13 A	
5	श्री राम नेवाज दुबे SE-22.06.2016	143 EE	18-01-1959 31-01-2019	24-07-1987 08-01-2003	Level-13	17-06-2017 Level-13 A	
6	श्री संतोष कुमार SE-17-06-2016	154 EE	01-02-1962 31-01-2022	25-06-1987 03-07-2004	Level-13	25-06-2017 Level-13 A	
7	श्री रमेश कुमार सिंह SE-17-06-2016	155 EE	12-02-1961 28-02-2021	26-06-1987 08-01-2003	Level-13	26-06-2016 Level-13 A	
8	श्री कृष्ण चन्द्र ठाकुर SE-17-06-2016	158 EE	01-02-1959 28-02-2019	09-07-1987 08-01-2003	Level-13	09-07-2017 Level-13 A	
9	श्री दिनेश्वर प्रसाद शर्मा SE-17-06-2016	159 EE	02-09-1959 30-09-2019	19-06-1987 08-01-2003	Level-13	19-06-2017 Level-13 A	
10	श्री संजय कुमार SE-17-06-2016	160 EE	09-12-1961 31-12-2021	04-07-1987 03-07-2004	Level-13	04-07-2017 Level-13 A	
11	श्री सोहैल अख्तर SE-17-06-2016	163 EE	30-01-1964 31-01-2024	06-07-1987 08-01-2003	Level-13	06-07-2017 Level-13 A	
12	श्री अनिल कुमार सिन्हा SE-17-06-2016	165 EE	15-02-1962 28-02-2022	01-07-1987 03-07-2004	Level-13	18-06-2017 Level-13 A	
13	श्री अमरनाथ पाठक SE-17-06-2016	169 EE	15-05-1964 31-05-2024	16-06-1987 08-01-2003	Level-13	16-06-2017 Level-13 A	
14	श्री अजीत कुमार SE-17-06-2016	174 EE	15-08-1959 31-08-2019	18-06-1987 08-01-2003	Level-13	18-06-2017 Level-13 A	
15	श्री नीरज सक्सेना SE-17-06-2016	180 EE	01-07-1964 30-06-2024	29-06-1987 03-07-2004	Level-13	19-06-2017 Level-13 A	
16	श्री कृष्ण मुरारी SE-17-06-2016	188 EE	02-11-1958 30-11-2018	16-06-1987 08-01-2003	Level-13	16-06-2017 Level-13 A	
17	श्री सुरेश कुमार तिवारी SE-17-06-2016	189 EE	06-12-1958 31-12-2018	20-06-1987 08-01-2003	Level-13	20-06-2017 Level-13 A	

क्र०	पदाधिकारी का नाम	वर्ष 2011 का वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि/ सेवा निवृत्ति की तिथि	प्रथम योगदान की तिथि/ सेवा सम्पुष्टि की तिथि	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन		अभ्युक्ति
					देय तिथि से पूर्व का वेतनमान	देय तिथि एवं वेतनमान	
1	2	3	4	5	6A	6B	7
18	श्री उमाकान्त ठाकुर SE-17-06-2016	190 EE	08-01-1960 31-01-2020	18-06-1987 08-01-2003	Level-13	18-06-2017 Level-13 A	
19	श्री सुरेन्द्र यादव SE-17-06-2016	192 EE	25-06-1962 30-06-2022	13-07-1987 08-01-2003	Level-13	13-07-2017 Level-13 A	
20	श्री खगेश चन्द्र विश्वास SE-17-06-2016	194 EE	04-05-1959 31-05-2019	01-07-1987 06-08-2005	Level-13	01-07-2017 Level-13 A	
21	श्री राजीव रंजन प्रसाद-1 SE-17-06-2016	196 EE	29-11-1960 30-11-2020	10-07-1987 03-07-2004	Level-13	10-07-2017 Level-13 A	
22	श्री उत्तम कुमार SE-17-06-2016	197 EE	08-02-1961 28-02-2021	18-06-1987 08-01-2003	Level-13	01-07-2018 Level-13 A	देय तिथि 18.06. 2017 किन्तु संसूचित दंड के प्रभाव की समाप्ति की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० स्वीकृत।
23	श्री विनोद कुमार SE-17-06-2016	199 EE	22-12-1963 31-12-2023	30-01-1988 06-01-2003	Level-13	30-01-2018 Level-13 A	
24	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह SE-17-06-2016	200 EE	05-06-1959 30-06-2019	22-06-1987 03-07-2004	Level-13	22-06-2017 Level-13 A	
25	श्री प्रदीप कुमार SE-17-06-2016	202 EE	04-02-1962 28-02-2022	25-06-1987 08-01-2003	Level-13	25-06-2017 Level-13 A	
26	श्री अशोक कुमार SE-17-06-2016	208 EE	17-01-1959 31-01-2019	18-06-1987 08-01-2003	Level-13	18-06-2017 Level-13 A	
27	श्री प्रकाश चन्द्र SE-17-06-2016	223 EE	27-10-1960 31-10-2020	23-06-1987 08-01-2003	Level-13	22-06-2017 Level-13 A	
28	श्री अरुण कुमार मिश्र SE-17-06-2016	224 EE	13-03-1961 31-03-2021	13-07-1987 08-01-2003	Level-13	23-07-2017 Level-13 A	
29	श्री संजय कुमार सिंह SE-17-06-2016	247 EE	15-03-1963 31-03-2023	16-06-1987 03-07-2004	Level-13	16-06-2017 Level-13 A	
30	श्री शमीम अहमद SE-17-06-2016	248 EE	07-09-1963 30-09-2023	20-06-1987 06-08-2005	Level-13	20-06-2017 Level-13 A	
31	श्रीमति सविता सिन्हा SE-17-06-2016	252 EE	27-08-1961 31-08-2021	13-07-1987 03-07-2004	Level-13	13-07-2017 Level-13 A	
32	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह SE-17-06-2016	254 EE	26-10-1962 31-10-2022	16-06-1987 03-07-2004	Level-13	16-06-2017 Level-13 A	
33	श्री इन्दु शेखर राय SE-17-06-2016	259 EE	14-11-1964 30-11-2024	01-07-1987 03-07-2004	Level-13	01-07-2017 Level-13 A	

क्र०	पदाधिकारी का नाम	वर्ष 2011 का वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि/ सेवा निवृत्ति की तिथि	प्रथम योगदान की तिथि/ सेवा सम्पुष्टि की तिथि	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन		अभ्युक्ति
					देय तिथि से पूर्व का वेतनमान	देय तिथि एवं वेतनमान	
1	2	3	4	5	6A	6B	7
34	श्री जयनाथ SE-17-06-2016	261 EE	05-01-1961 31-01-2021	25-06-1987 08-01-2003	Level-13	25-06-2017 Level-13 A	
35	श्री ब्रज कुमार ओझा SE-04-08-2016	262 EE	02-01-1963 31-01-2023	03-07-1987 08-01-2003	Level-13	03-07-2017 Level-13 A	
36	श्री रणजीत कुमार मिश्र SE-18-10-2016	268 EE	11-09-1958 30-09-2018	24-06-1987 03-07-2004	Level-13	24-06-2017 Level-13 A	
37	श्री मधुसूदन कुमार SE-18-10-2016	272 EE	20-10-1961 31-10-2021	29-06-1987 08-01-2003	Level-13	29-06-2017 Level-13 A	
38	श्री ज्योति भूषण श्रीवास्ताव SE-03-02-2017	273 EE	02-02-1962 08-02-2022	18-06-1987 03-07-2004	Level-13	18-06-2017 Level-13 A	
39	श्री सुनील कुमार सिन्हा SE-03-02-2017	276 EE	26-01-1965 31-01-2025	23-06-1987 08-01-2003	Level-13	23-06-2017 Level-13 A	
40	श्री आनन्द भैरव प्रसाद SE-03-02-2017	280 EE	09-01-1959 31-01-2019	03-08-1987 03-07-2004	Level-13	03-08-2017 Level-13 A	

3. स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या-630, दिनांक 21.01.2010 के कंडिका-12 में अथवा वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-3ए०-2-वे०पु०-09/2016-3590, दिनांक 24.05.2017 की कंडिका-11 एवं वित्त विभाग के पत्रांक-3ए०-2-वे०पु०-08/2017-8928/वि०, दिनांक 15.11.2017 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।

4. यह वित्तीय उन्नयन, व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।

5. यदि पूर्व में सामान ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति दी गयी है तो उसे इस हद तक संशोधित समझा जाय। (उदाहरण के रूप में यदि किसी अभियंता को प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति पूर्व में दी गयी है तथा इस अधिसूचना में भी प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० स्वीकृत की गयी है तो इस अधिसूचना के हद तक उक्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० संशोधित समझी जायेगी)

6. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित ओदश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली उनसे कर ली जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलजा शर्मा, संयुक्त सचिव।

25 जनवरी 2021

सं० निग/सारा-4(पथ)-आरोप-04/2021-503(s)-पथ प्रमंडल, सहरसा में CMBD के अन्तर्गत सहसौल-बिन्दटोली पथ के कि०मी० 01 से 05 (अंश) तक (कुल 4.10 कि०मी० पथांश लंबाई) में बिटुमिनस कार्य, पी०सी०सी० कार्य सहित विविध कार्य एवं संधारण कार्य सहित उन्नयन/IRQP कार्य वर्ष 2015-16 की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-03 के द्वारा किया गया एवं एतद् संबंधी जाँच प्रतिवेदन निदेशक, प्रशिक्षण परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-308 (अनु०) दिनांक 11.04.2017 द्वारा प्रारंभिक एवं पत्रांक-113 अनु०, दिनांक 20.02.2018 द्वारा गुणवत्ता/अंतिम जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

उक्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरांत निम्न त्रुटि पायी गयी :-

(i) पथ के कि०मी० 2 में कराये गये SDBC Gr-II की मुटाई 25mm के विरुद्ध 20.67mm पाया गया जो प्रावधान से 4.33mm कम है।

(ii) पथ के कि०मी० 02 में कराये गये BM Gr-II की मुटाई 50mm के विरुद्ध 42.167mm पाया गया, जो प्रावधान से 7.83mm कम है।

(iii) पथ के कि०मी० 02 में कराये गये SDBC Gr-II में अलकतरा की मात्रा 5% के विरुद्ध 2.843% पाया गया।

(iv) पथ के कि०मी० 02 में कराये गये BM Gr-II में अलकतरा की मात्रा 3.3% के विरुद्ध 2.850% पाया गया।

(v) पथ के कि०मी० 02 में कराये गये SDBC Gr-II कार्य में प्रयुक्त Stone aggregate 8.795% औसतन ओवर साईज एवं शून्य % औसतन अण्डर साईज पाया गया।

2. वर्णित पायी गयी त्रुटियों के संदर्भ में श्री कमला पासवान, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ से विभागीय पत्रांक-9500 (एस) अनु०, दिनांक 13.12.2018 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री पासवान के पत्रांक-22, दिनांक 30.03.2019 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में निम्न तथ्य प्रतिवेदित किये गये :-

(i) उड़नदस्ता टीम के द्वारा CMBD के अन्तर्गत सहसौल-बिन्द टोली पथ में कराये गये कार्य की जाँच के क्रम में किसी भी कि०मी० के पथांश में Pots आदि नहीं पाया गया एवं पथ में कराये गये सभी मदों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गयी। परन्तु भूलवश BM एवं SDBC में कुछ त्रुटि पायी गयी।

(ii) उनके द्वारा किसी प्रकार की कार्य के प्रति लापरवाही नहीं की गई है, बल्कि Paver चालक को 50mm BM तथा 25mm SDBC Compact करने का निदेश दिया गया था। परन्तु भूलवश Paver चालक को loud में क्रमशः 50mm के 25mm समझ बैठे इसलिये कुछ त्रुटि पायी गयी। पायी गयी त्रुटियों का निराकरण संवेदक एक-दो दिन में करने ही वाला था कि पथ की जाँच हो गयी।

3. श्री पासवान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा आलोच्य कार्य कराये जाने के लगभग एक वर्ष बाद पथ के निरीक्षण किये जाने के क्रम में एक भी Pots नहीं पाये जाने, जबकि उक्त एक वर्ष की अवधि में एक बाढ़ को झेले जाने के बावजूद पथ परत क्षतिग्रस्त नहीं होने जैसे परिस्थितिजन्य कारणों का उल्लेख किया गया है, परन्तु शेष अन्य त्रुटि के बिन्दु पर श्री पासवान द्वारा कोई खण्डनयुक्त तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार श्री पासवान के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा के क्रम में श्री पासवान द्वारा दिनांक 30.03.2019 के समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 14 के उपनियम (iv) के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

(i) '01 (एक वर्ष की अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति'।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

25 जनवरी 2021

सं० निग/सारा-4(पथ)-आरोप-04/2021-505(s)-पथ प्रमंडल, सहरसा में CMBD के अन्तर्गत सहसौल-बिन्दटोली पथ के कि०मी० 01 से 05 (अंश) तक (कुल 4.10 कि०मी० पथांश लंबाई) में बिटुमिनस कार्य, पी०सी०सी० कार्य सहित विविध कार्य एवं संधारण कार्य सहित उन्नयन/IRQP कार्य वर्ष 2015-16 की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-03 के द्वारा किया गया एवं एतद् संबंधी जाँच प्रतिवेदन निदेशक, प्रशिक्षण परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-308 (अनु०) दिनांक 11.04.2017 द्वारा प्रारंभिक एवं पत्रांक-113 अनु०, दिनांक 20.02.2018 द्वारा गुणवत्ता/अंतिम जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

उक्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरांत निम्न त्रुटि पायी गयी :-

- (i) पथ के कि०मी० 2 में कराये गये SDBC Gr-II की मुटाई 25mm के विरुद्ध 20.67mm पाया गया जो प्रावधान से 4.33mm कम है।
- (ii) पथ के कि०मी० 02 में कराये गये BM Gr-II की मुटाई 50mm के विरुद्ध 42.167mm पाया गया, जो प्रावधान से 7.83mm कम है।
- (iii) पथ के कि०मी० 02 में कराये गये SDBC Gr-II में अलकतरा की मात्रा 5% के विरुद्ध 2.843% पाया गया।
- (iv) पथ के कि०मी० 02 में कराये गये BM Gr-II में अलकतरा की मात्रा 3.3% के विरुद्ध 2.850% पाया गया।
- (v) पथ के कि०मी० 02 में कराये गये SDBC Gr-II कार्य में प्रयुक्त Stone aggregate 8.795% औसतन ओवर साईज एवं शून्य % औसतन अण्डर साईज पाया गया।

2. वर्णित पायी गयी त्रुटियों के संदर्भ में श्री रामावतार साह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से विभागीय पत्रांक-9498 (एस) अनु०, दिनांक 13.12.2018 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री साह के पत्रांक-शून्य दिनांक 25.07.2019 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में निम्न तथ्य प्रतिवेदित किये गये :-

(i) TRI के गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन में SDBC Gr-II में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 2.84% प्रतिवेदित किया जाना बिल्कुल ही त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इतनी कम मात्रा में अलकतरा का प्रयोग कर mix बनाकर laying करना संभव नहीं है।

(ii) मापीपुस्त अनुसार आलोच्य कार्य अप्रैल 2016 में कराया गया जबकि उक्त पथांश की जाँच लगभग एक वर्ष बाद 28.03.2017 से 31.03.2017 के बीच कराया गया। यदि 2.84% अलकतरा का प्रयोग किया जाता तो कार्य कराये जाने के लगभग एक वर्ष बाद पूरा पथ परत क्षतिग्रस्त पाया जाता परन्तु जाँच दल के निरीक्षण टिप्पणी में इसके उलट पथ परत में कोई Pots नहीं पाया गया, जबकि उक्त एक वर्ष अवधि में आलोच्य पथ एक बाढ़ को भी झेल चुका है।

(iii) TRI के गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अलकतरा की औसत मात्रा SDBC में 2.84% पाया गया जबकि BM कार्य में इससे अधिक 2.85% प्रतिवेदित है जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है क्योंकि SDBC एवं BM अलकतरा की मात्रा एकरारमानुसार क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 3.3 प्रतिशत प्रावधानित है।

3. श्री साह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा अलकतरा की मात्रा कम पाये जाने के बिन्दु पर SDBC कार्य में 2.84% अलकतरा की मात्रा से Bitumen Mix कर laying किया जाना तकनीकी रूप से संभव नहीं होने, आलोच्य कार्य कराये जाने के लगभग एक वर्ष बाद पथ के निरीक्षण किये जाने के क्रम में एक भी Pots नहीं पाये जाने, जबकि उक्त एक वर्ष की अवधि में एक बाढ़ को झेले जाने के बावजूद पथ परत क्षतिग्रस्त नहीं होने जैसे परिस्थितिजन्य कारणों का उल्लेख किया गया है, परन्तु शेष अन्य त्रुटि के बिन्दु पर श्री साह द्वारा कोई खण्डनयुक्त तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार श्री साह के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पूर्णतः संतोषजनक नहीं है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा के क्रम में श्री साह द्वारा दिनांक 25.07.2019 के समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 14 के उपनियम (i) के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

(i) "निन्दन (आरोप वर्ष 2016-17)"।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

25 जनवरी 2021

सं० निग/सारा-4(पथ)-आरोप-02/2021-507(s)-पथ प्रमंडल, सहरसा अन्तर्गत पंचगछिया-नौहट्टा पथ के कि०मी० 6 से 14 (अंश) कुल 8.608 कि०मी० पथांश में पथ फर्नीचर कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित IRQP कार्य वर्ष 2013-14 के कार्यों की उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-03 के द्वारा दिनांक 28.03.2017 से 31.03.2017 के बीच जाँच की गई एवं निदेशक, प्रशिक्षण परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-307 (अनु०) दिनांक 11.04.2017 द्वारा प्रारंभिक एवं पत्रांक-111 अनु०, दिनांक 20.02.2018 द्वारा गुणवत्ता/अंतिम जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

उक्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरांत निम्न त्रुटि पायी गयी :-

(i) आलोच्य पथ के 11वे कि०मी० में कराये गये SDBC Gr-II कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.406% पायी गयी, जो विभागीय मार्गदर्शिकानुसार टॉलरेन्स लिमिट 4.19% से कम है।

(ii) पथ के 11वे कि०मी० में कराये गये BM Gr-II कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 2.636% पायी गयी जो विभागीय मार्गदर्शिका टॉलरेन्स लिमिट 2.94 के कम है।

2. वर्णित पायी गयी त्रुटियों के संदर्भ में श्री रामावतार साह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से विभागीय पत्रांक-9288 (एस) अनु०, दिनांक 06.12.2018 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री साह के पत्रांक-शून्य दिनांक 25.07.2019 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में निम्न तथ्य प्रतिवेदित किये गये :-

(i) MORTH/IRC के Codal Porvision के अनुसार अगर नमूनों की जाँच की जाती तो वे Tolerance Limit के अन्तर्गत होता क्योंकि Moisture घटा दिया गया है। फलस्वरूप Bitumen Content Tolerance से भी कम आया है।

(ii) Bitumen Content की जाँच कार्य होने के लगभग तीन वर्ष बाद की गई है। पथ के निर्माण कार्य होने एवं जाँच किये जाने के बीच दो बारसात के मौसम में बाढ़ का पानी पथ के ऊपर बहता रहा जिस कारण Bitumen की औसत मात्रा में कमी हो सकती है।

3. श्री साह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा अलकतरा की मात्रा कम पाये जाने के बिन्दु पर जिन व्यवहारिक एवं तकनीकी कारणों का संदर्भ दिया गया है वस्तुतः इन्हीं कारणों से विभाग द्वारा Tolerance निर्धारित किया गया है। साथ ही TRI में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप Sample Collection एवं जाँच की जाती है। आलोच्य मामले में SDBC Gr-II कार्य में अलकतरा की औसत मात्रा Tolerance Limit (4.19%) से भी कम अर्थात् 3.406% पायी गयी और BM Gr-II कार्य में Tolerance Limit (2.94%) से भी कम अर्थात् 2.363% पायी गयी। इस प्रकार श्री साह के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को संतोषजनक नहीं पाया गया है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा के क्रम में श्री साह द्वारा दिनांक 25.07.2019 के समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 14 के उपनियम (i) के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

(i) "निन्दन (आरोप वर्ष 2014-15)"।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

27 जनवरी 2021

सं० 1/मुक०-06/2015-536(s)—श्रीमती रंजीता प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की सेवा विभागीय अधिसूचना संख्या-11057 (एस) दिनांक 29.07.2010 द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर 04 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर सौंपी गई थी। कालांतर में श्रीमती प्रसाद द्वारा दिनांक 27.08.2013 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली में स्थायी समायोजन करने हेतु NOC तथा पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के साथ Technical Resignation स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। श्रीमती प्रसाद द्वारा समर्पित त्याग-पत्र को वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-10550 (एस) दिनांक 07.11.2014 द्वारा पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ रहित स्वीकार कर लिया गया।

श्रीमती प्रसाद द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-10550 (एस) दिनांक 07.11.2014 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-660/15 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 02.04.2019 को आदेश पारित किया गया जिसका Operative अंश निम्नवत् है :-

"If the Petitioner's claim is found covered by the case of Binay Kumar Thakur, it is needless to observe that it would be incumbent upon the respondent authority to grant the same benefit. If not covered, then also it is open to the respondents to reject their claim but before doing so the authorities would have to deal with the claim and record reasons for distinguishing the claim.

The writ petition is disposed of in view of the submission of the petitioners'. Counsel that they would be making claim before respondent No.-2.

उक्त न्यायादेश में यह आदेश पारित है कि यदि विनय कुमार ठाकुर का मामला (CWJC No.-2267/18) समरूप है तो श्री ठाकुर को अनुमान्य किये गये लाभ को वादी श्रीमती रंजीता प्रसाद को भी दिया जाय। तदालोक में श्रीमती प्रसाद द्वारा श्री विनय कुमार ठाकुर के समरूप मामला होने का दावा करते हुए श्री ठाकुर को अनुमान्य किये गये लाभ के अनुरूप NHAI में समायोजन के आधार पर दिये गये त्याग-पत्र के उपरांत पथ निर्माण विभाग में बिताये गये सेवा अवधि के लिए सेवांत लाभ अनुमान्य करने हेतु आवेदन दिया गया।

श्री विनय कुमार ठाकुर, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-5405 (एस) दिनांक 18.04.2008 द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली अंतर्गत उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर चार (04) वर्षों के लिए योगदान करने हेतु विरमित किया गया था। श्री ठाकुर द्वारा दिनांक 09.04.2013 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली में स्थायी समायोजन करने हेतु NOC तथा पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के साथ Technical Resignation स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। श्री ठाकुर द्वारा समर्पित त्याग-पत्र को वित्त विभाग के सदृश मामले (श्रीमती रंजीता प्रसाद) में प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-12010 (एस) दिनांक 12.12.2014 द्वारा पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ रहित स्वीकार कर लिया गया। उक्त अधिसूचना की विरुद्ध श्री ठाकुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका CWJC No.-2267/18 में दिनांक 14.03.2019 को पारित आदेश तथा आदेश के अनुपालन के बिन्दु पर वित्त विभाग एवं विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री ठाकुर को पथ निर्माण विभाग में योगदान की तिथि दिनांक 16.06.1987 से तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकार करने की तिथि तक की सेवा को वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1950 दिनांक 18.02.1974 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-276 एवं 278 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय सकारण आदेश संख्या-5979 (एस) दिनांक 12.10.2020 द्वारा पेंशनादि के अनुमान्यता की स्वीकृति प्रदान की गई।

श्रीमती प्रसाद द्वारा दायर CWJC No.-660/15 में दिनांक 02.04.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में समीक्षोपरांत श्रीमती प्रसाद का मामला भी श्री ठाकुर के समरूप पाया गया।

इस प्रकार श्रीमती प्रसाद द्वारा दायर CWJC No.-660/15 में दिनांक 02.04.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में श्रीमती प्रसाद का मामला श्री ठाकुर के समरूप पाये जाने के फलस्वरूप श्रीमती प्रसाद को पथ निर्माण विभाग में योगदान की तिथि 24.07.1990 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में समायोजन के उपरांत दिये गये तकनीकी त्याग-पत्र को स्वीकार करने की तिथि दिनांक 07.11.2014 तक की सेवा के लिए वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-1950 दिनांक:- 18.02.1974 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 276 एवं 278 में निहित प्रावधान के आलोक में पेंशनादि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विभागीय अधिसूचना संख्या-10550 (एस) दिनांक 07.11.2014 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बब्लु कुमार, उप-सचिव (प्र०को०)।

27 जनवरी 2021

सं० 1/मुक०-06/2015-538(s)—श्री शिव शंकर झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति महाप्रबंधक (तकनीकी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली की सेवा विभागीय अधिसूचना संख्या-10629 (एस) दिनांक 10.09.2007 द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर 04 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर सौंपी गई थी। प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के उपरांत विभागीय पत्रांक-154 (एस) दिनांक 18.01.2013 द्वारा श्री झा की सेवा वापस करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण से अनुरोध किया गया परन्तु प्राधिकरण द्वारा श्री झा की सेवा वापस नहीं की गई। श्री झा द्वारा दिनांक 09.04.2013 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली में स्थायी समायोजन करने हेतु NOC तथा पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के साथ **Technical Resignation** स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। श्री झा द्वारा समर्पित त्याग-पत्र को वित्त विभाग द्वारा सदृश मामले (श्रीमती रंजिता प्रसाद) में प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-10548 (एस) दिनांक 07.11.2014 द्वारा पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ रहित स्वीकार कर लिया गया।

श्री झा द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-10548 (एस) दिनांक 07.11.2014 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-644/15 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 02.04.2019 को आदेश पारित किया गया जिसका **Operative** अंश निम्नवत् है :-

"If the Petitioner's claim is found covered by the case of Binay Kumar Thakur, it is needless to observe that it would be incumbent upon the respondent authority to grant the same benefit. If not covered, then also it is open to the respondents to reject their claim but before doing so the authorities would have to deal with the claim and record reasons for distinguishing the claim.

The writ petition is disposed of in view of the submission of the petitioners'. Counsel that they would be making claim before respondent No.-2.

उक्त न्यायादेश में यह आदेश पारित है कि यदि विनय कुमार ठाकुर का मामला (CWJC No.-2267/18) समरूप है तो श्री ठाकुर को अनुमान्य किये गये लाभ को वादी श्री शिवशंकर झा को भी दिया जाय। तदालोक में श्री झा द्वारा श्री विनय कुमार ठाकुर के समरूप मामला होने का दावा करते हुए श्री ठाकुर को अनुमान्य किये गये लाभ के अनुरूप NHAI में समायोजन के आधार पर दिये गये त्याग-पत्र के उपरांत पथ निर्माण विभाग में बिताये गये सेवा अवधि के लिए सेवांत लाभ अनुमान्य करने हेतु आवेदन दिया गया।

श्री विनय कुमार ठाकुर, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-5405 (एस) दिनांक 18.04.2008 द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली अंतर्गत उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर चार (04) वर्षों के लिए योगदान करने हेतु विरमित किया गया था। श्री ठाकुर द्वारा दिनांक 09.04.2013 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली में स्थायी समायोजन करने हेतु NOC तथा पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के साथ **Technical Resignation** स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। श्री ठाकुर द्वारा समर्पित त्याग-पत्र को वित्त विभाग के सदृश मामले (श्रीमती रंजिता प्रसाद) में प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-12010 (एस) दिनांक 12.12.2014 द्वारा पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ रहित स्वीकार कर लिया गया। उक्त अधिसूचना की विरुद्ध श्री ठाकुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका CWJC No.-2267/18 में दिनांक 14.03.2019 को पारित आदेश तथा आदेश के अनुपालन के बिन्दु पर वित्त विभाग एवं विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री ठाकुर को पथ निर्माण विभाग में योगदान की तिथि दिनांक 16.06.1987 से तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकार करने की तिथि तक की सेवा को वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1950 दिनांक 18.02.1974 एवं बिहार

सेवा संहिता के नियम-276 एवं 278 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय सकारण आदेश संख्या-5979 (एस) दिनांक 12.10.2020 द्वारा पेंशनादि के अनुमान्यता की स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री शिव शंकर झा द्वारा CWJC No.-644/15 में दिनांक 02.04.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में समीक्षोपरांत श्री झा का मामला भी श्री ठाकुर के समरूप पाया गया।

इस प्रकार श्री झा द्वारा दायर CWJC No.-644/15 में दिनांक 02.04.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री झा का मामला श्री ठाकुर के समरूप पाये जाने के फलस्वरूप श्री झा को पथ निर्माण विभाग में योगदान की तिथि 02.07.1987 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में समयोजन के उपरांत दिये गये तकनीकी त्याग-पत्र को स्वीकार करने की तिथि दिनांक 07.11.2014 तक की सेवा के लिए वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-1950 दिनांक:- 18.02.1974 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 276 एवं 278 में निहित प्रावधान के आलोक में पेंशनादि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विभागीय अधिसूचना संख्या-10548 (एस) दिनांक 07.11.2014 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बब्लु कुमार, उप-सचिव (प्र०को०)।

27 जनवरी 2021

सं० 1/मुक०-06/2015-540(s)—श्री श्याम कृष्ण, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की सेवा विभागीय अधिसूचना संख्या-5405 (एस) दिनांक 18.04.2008 द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर 04 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर सौंपी गई थी। कालांतर में श्री श्याम कृष्ण द्वारा दिनांक 03.02.2014 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली में स्थायी समायोजन करने हेतु NOC तथा पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के साथ त्याग-पत्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। श्री श्याम कृष्ण द्वारा समर्पित त्याग-पत्र को वित्त विभाग द्वारा सदृश मामले (श्रीमती रंजीता प्रसाद) में प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-10552 (एस) दिनांक 07.11.2014 द्वारा पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ रहित स्वीकार कर लिया गया।

श्री श्याम कृष्ण द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-10552 (एस) दिनांक 07.11.2014 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-664/15 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 02.04.2019 को आदेश पारित किया गया जिसका Operative अंश निम्नवत् है :-

"If the Petitioner's claim is found covered by the case of Binay Kumar Thakur, it is needless to observe that it would be incumbent upon the respondent authority to grant the same benefit. If not covered, then also it is open to the respondents to reject their claim but before doing so the authorities would have to deal with the claim and record reasons for distinguishing the claim.

The writ petition is disposed of in view of the submission of the petitioners'. Counsel that they would be making claim before respondent No.-2.

उक्त न्यायादेश में यह आदेश पारित है कि यदि विनय कुमार ठाकुर का मामला (CWJC No.-2267/18) समरूप है तो श्री ठाकुर को अनुमान्य किये गये लाभ को वादी श्री श्याम कृष्ण को भी दिया जाय। तदालोक में श्री श्याम कृष्ण द्वारा श्री विनय कुमार ठाकुर के समरूप मामला होने का दावा करते हुए श्री ठाकुर को अनुमान्य किये गये लाभ के अनुरूप NHAI में समायोजन के आधार पर दिये गये त्याग-पत्र के उपरांत पथ निर्माण विभाग में बिताये गये सेवा अवधि के लिए सेवांत लाभ अनुमान्य करने हेतु आवेदन दिया गया।

श्री विनय कुमार ठाकुर, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-5405 (एस) दिनांक 18.04.2008 द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली अंतर्गत उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर चार (04) वर्षों के लिए योगदान करने हेतु विरमित किया गया था। श्री ठाकुर द्वारा दिनांक 09.04.2013 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली में स्थायी समायोजन करने हेतु NOC तथा पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के साथ Technical Resignation स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। श्री ठाकुर द्वारा समर्पित त्याग-पत्र को वित्त विभाग के सदृश मामले (श्रीमती रंजिता प्रसाद) में प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-12010 (एस) दिनांक 12.12.2014 द्वारा पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ रहित स्वीकार कर लिया गया। उक्त अधिसूचना की विरुद्ध श्री ठाकुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका CWJC No.-2267/18 में दिनांक 14.03.2019 को पारित आदेश तथा आदेश के अनुपालन के बिन्दु पर वित्त विभाग एवं विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में सम्पूर्ण विचारोपरांत श्री ठाकुर को पथ निर्माण विभाग में योगदान की तिथि दिनांक 16.06.1987 से तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकार करने की तिथि तक की सेवा को वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1950 दिनांक 18.02.1974 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-276 एवं 278 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय सकारण आदेश संख्या-5979 (एस) दिनांक 12.10.2020 द्वारा पेंशनादि के अनुमान्यता की स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री श्याम कृष्ण द्वारा दायर CWJC No.-664/15 में दिनांक 02.04.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में समीक्षोपरांत श्री श्याम कृष्ण का मामला भी श्री ठाकुर के समरूप पाया गया।

इस प्रकार श्री श्याम कृष्ण द्वारा दायर CWJC No.-664/15 में दिनांक 02.04.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री श्याम कृष्ण का मामला श्री ठाकुर के समरूप पाये जाने के फलस्वरूप श्री श्याम कृष्ण को पथ निर्माण विभाग में योगदान की तिथि 18.06.1987 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में समायोजन के उपरांत दिये गये तकनीकी त्याग-पत्र को स्वीकार करने की तिथि दिनांक 07.11.2014 तक की सेवा के लिए वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-1950 दिनांक:- 18.02.1974 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 276 एवं 278 में निहित प्रावधान के आलोक में पेंशनादि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विभागीय अधिसूचना संख्या-10552 (एस) दिनांक 07.11.2014 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बब्लु कुमार, उप-सचिव (प्र०को०)।

27 जनवरी 2021

सं० निग/सारा-04 (पथ)-आरोप-88/2020-564(s)—श्री विभूति चन्द्र, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा को एन०एच०-19/102 के छपरा शहर एवं आस-पास के बचे हुए पथांश के निर्माण कार्य की गति अत्यन्त धीमी पाये जाने, आलोच्य कार्य के प्राक्कलन में प्रावधानों में संशोधन करने की रचना के कारण कार्य अवरुद्ध हो जाने, प्रमंडल अन्तर्गत OPRMC के तहत संधारित पथों की स्थिति अच्छी नहीं होने, तरैया-मशरख पथ में पायी गयी त्रुटियों के सुधार कर तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजने, समीक्षा बैठकों में चेतावनी देने के बावजूद बैठक के पूर्व गंभीर तैयारी नहीं कर पाने के आरोप के लिए विभागीय पत्रांक-5827 (एस) दिनांक 05.10.2020 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

2. श्री विभूति चन्द्र द्वारा पत्रांक-शून्य दिनांक 14.10.2020 के माध्यम से स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया, जिसकी विभागीय समीक्षा में स्पष्टीकरण उत्तर को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

3. इसके अतिरिक्त दिनांक 17.12.2020 को अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा पथ प्रमंडल, छपरा अंतर्गत विभिन्न पथों की प्रगति एवं विभिन्न पथों के रख-रखाव के अवलोकन हेतु पथ प्रमंडल, छपरा का भ्रमण किया गया। समीक्षा एवं भ्रमण के क्रम में निम्नलिखित त्रुटियाँ/अनियमितता पायी गयी:-

- (i) छपरा शहर अन्तर्गत अवस्थित एन०एच०-19 एवं एन०एच०-102 के लेफ्ट आउट पथांश (नये बाईपास निर्माण के फलस्वरूप) के सुदृढीकरण कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं पायी गयी, जबकि यह शहर का प्रमुख पथांश है तथा पिछले 04 महीने से इस कार्य में प्रगति लाने हेतु विभाग स्तर से अनुश्रवण किया जा रहा है।
- (ii) स्टेट हाईवे-104 में अम्बेडकर चौक, मसरख के पास बाढ़ के कारण पथ में कटाव हो जाने के फलस्वरूप इस स्थल पर नये पुल निर्माण हेतु डी०पी०आर० समर्पित करने एवं अन्य अग्रतर कार्रवाई का निदेश कार्यपालक अभियंता को विगत कई महीनों से दिये जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गयी।
- (iii) पथ प्रमंडल, छपरा अन्तर्गत बाढ़ में जिन पथों की क्षति हुई, उन पथों में कालीकरण करके स्थाई पुनर्स्थापन नहीं कराया गया, जबकि इस संबंध में विभाग का स्पष्ट निदेश है कि मानसून की समाप्ति के तुरंत बाद क्षतिग्रस्त पथांश को कालीकरण करके स्थाई पुनर्स्थापन कराया जाय।
- (iv) गरखा-मानपुर पथ का निर्माण कार्य प्रावधान के अनुकूल संतोषजनक नहीं पाया गया।

4. उपर्युक्त से स्पष्ट है कि श्री विभूति चन्द्र, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा को विभाग द्वारा लगातार कार्य में सुधार लाने हेतु निदेश दिया जाता रहा, परन्तु जहाँ एक ओर निर्माणाधीन पथों की प्रगति अत्यन्त धीमी हो गयी है वहीं दूसरी ओर पथों का रख-रखाव भी खराब हो गया है। श्री विभूति चन्द्र का यह कृत्य सरकारी कार्यों के प्रति गैर जिम्मेदार आचरण, कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता, विभागीय निदेशों के अनुपालन में समयबद्धता का अभाव के साथ-साथ पर्यवेक्षण के अभाव का भी द्योतक है, जिसके लिए श्री विभूति चन्द्र बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1) (i) (ii) एवं (iii) के उल्लंघन हेतु दोषी प्रतीत होते हैं। इस हेतु श्री विभूति चन्द्र, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

5. निलंबन की अवधि में श्री विभूति चन्द्र का मुख्यालय मुख्य अभियंता (उत्तर), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

6. निलंबन अवधि के दौरान श्री विभूति चन्द्र को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अध्याधीन शर्तों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

7. उक्त अनियमितता के लिए श्री विभूति चन्द्र के विरुद्ध अलग से विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने की कार्रवाई की जायेगी।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

27 जनवरी 2021

सं० निग/सारा-04 (पथ)-आरोप-88/2020-566(s)—श्री नरसिंह कुमार, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या-2, पथ प्रमंडल, छपरा को उनके प्रभाग के पथों के निर्माण कार्य में अत्यधिक विलम्ब, एन०एच०-19/102 के अवशेष पथांशों के सुदृढीकरण कार्य की गति अत्यन्त धीमी पाये जाने एवं ठेकेदार के साथ मिलकर स्वीकृत प्राक्कलन में अनावश्यक संशोधन कराने की चेष्टा करने के आरोप के लिए विभागीय पत्रांक- 5826 (एस) दिनांक 05.10.2020 के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

2. श्री कुमार द्वारा पत्रांक-शून्य दिनांक 14.10.2020 के माध्यम से स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया, जिसकी विभागीय समीक्षा में स्पष्टीकरण उत्तर को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

3. इसके अतिरिक्त दिनांक 17.12.2020 को अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा पथ प्रमंडल, छपरा अंतर्गत विभिन्न पथों की प्रगति एवं विभिन्न पथों के रख-रखाव के अवलोकन हेतु पथ प्रमंडल, छपरा का भ्रमण किया गया। समीक्षा एवं भ्रमण के क्रम में छपरा शहर अन्तर्गत अवस्थित एन०एच०-19 एवं एन०एच०-102 के लेफ्ट आउट पथांश (नये बाईपास निर्माण के फलस्वरूप) के सुदृढीकरण कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं पायी गयी, जबकि यह शहर का प्रमुख पथांश है तथा पिछले 04 महीने से इस कार्य में प्रगति लाने हेतु विभाग स्तर से अनुश्रवण किया जा रहा है।

उपर्युक्त के अलावे पथ प्रमंडल, छपरा अंतर्गत बाढ़ में जिन पथों की क्षति हुयी, उन पथों में कालीकरण करके स्थाई पुनर्स्थापन नहीं कराया गया, जबकि इस संबंध में विभाग का स्पष्ट निदेश है कि मानसून की समाप्ति के तुरन्त बाद क्षतिग्रस्त पथांश का कालीकरण करके स्थाई पुनर्स्थापन कराया जाय।

4. उपर्युक्त से स्पष्ट है कि श्री नरसिंह कुमार, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या-2, पथ प्रमंडल, छपरा को विभाग के द्वारा कार्य में सुधार लाने हेतु निदेश दिये जाने के बावजूद इनके द्वारा निर्माणाधीन पथों की प्रगति में कोई सुधार नहीं लाया गया, जिसके कारण कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी हो गयी है एवं पथों का रख-रखाव भी खराब हो गया है। श्री कुमार का यह कृत्य सरकारी कार्यों के प्रति गैर जिम्मेदार आचरण, कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता, विभागीय निदेशों के अनुपालन में समयबद्धता का अभाव के साथ-साथ पर्यवेक्षण के अभाव का भी द्योतक है, जिसके लिए श्री कुमार बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1) (i) (ii) एवं (iii) के उल्लंघन हेतु दोषी प्रतीत होते हैं। इस हेतु श्री नरसिंह कुमार, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या-2, पथ प्रमंडल, छपरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

5. निलंबन की अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय मुख्य अभियंता (उत्तर), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

6. निलंबन अवधि के दौरान श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अध्याधीन शर्तों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

7. उक्त अनियमितता के लिए श्री कुमार के विरुद्ध अलग से विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

27 जनवरी 2021

सं० निग/सारा- (न०वि०) आरोप-11/2020-569(s)—नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-736 दिनांक 10.02.2020 में उल्लेख है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-1073, दिनांक-31.01.2020 द्वारा पटना शहर में जल-जमाव के लिए गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। इस उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन में पथ निर्माण विभाग से बुडको में प्रतिनियुक्त श्री ओम प्रकाश सिंह, अधीक्षण अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य अभियंताओं के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेख है कि श्री ओम प्रकाश सिंह के विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही करने का निदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त है।

2. तदालोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1238 (एस)-सहपठित ज्ञापांक-1239 (एस), दिनांक 14.02.2020 द्वारा श्री ओम प्रकाश सिंह, अधीक्षण अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 का नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री सिंह को निलंबित किये हुए 10 माह से अधिक हो चुका है एवं नगर विकास एवं आवास विभाग से उनके विरुद्ध संशोधित आरोप-पत्र प्राप्त होने में विलम्ब हो जाने के कारण आरोप-पत्र के गठन में विलम्ब हुआ है।

4. अतः सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य श्री ओम प्रकाश सिंह, अधीक्षण अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (7) में निहित प्रावधान के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। इसका इनके विरुद्ध संचालित किये जाने वाले विभागीय कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5. श्री सिंह के निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान अनुमान्य होगा और निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निर्णय इनके विरुद्ध संचालित किये जाने वाले विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

6. श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

27 जनवरी 2021

सं० निग/सारा- (न०वि०) आरोप-11/2020-571(s)—नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-736 दिनांक 10.02.2020 में उल्लेख है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-1073, दिनांक-31.01.2020 द्वारा पटना शहर में जल-जमाव के लिए गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। इस उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन में पथ निर्माण विभाग से बुडको में प्रतिनियुक्त श्री सूर्यकान्त, कार्यपालक अभियंता (प्रभारी अधीक्षण अभियंता), बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेख है कि श्री सूर्यकान्त के विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही करने का निदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त है।

2. तदालोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1244 (एस)-सहपठित ज्ञापांक-1245 (एस), दिनांक 14.02.2020 द्वारा श्री सूर्यकान्त, कार्यपालक अभियंता (प्रभारी अधीक्षण अभियंता), बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 का नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री सूर्यकान्त के आवेदन दिनांक 06.10.2020 में अनुरोध किया गया है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 का नियम-9 (7) में निहित प्रावधान के आलोक में चूंकि उनका निलंबन 07 माह से अधिक हो गया है एवं आरोप-पत्र गठित नहीं हो पाया है, इसलिए उन्हें निलंबन मुक्त किया जाय।

4. श्री सूर्यकान्त के अनुरोध पर समीक्षोपरांत विचार किया गया कि उन्हें निलंबित किये हुए 10 माह से अधिक हो चुका है एवं नगर विकास एवं आवास विभाग से उनके विरुद्ध संशोधित आरोप-पत्र प्राप्त होने में विलम्ब हो जाने के कारण आरोप-पत्र के गठन में विलम्ब हुआ है।

5. अतः सम्यक विचारोपरांत उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सूर्यकान्त, कार्यपालक अभियंता (प्रभारी अधीक्षण अभियंता), बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (7) में निहित प्रावधान के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। इसका इनके विरुद्ध संचालित किये जाने वाले विभागीय कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. श्री सूर्यकान्त के निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान अनुमान्य होगा और निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निर्णय इनके विरुद्ध संचालित किये जाने वाले विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

7. श्री सूर्यकान्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

27 जनवरी 2021

सं० निग/सारा- (न०वि०) आरोप-11/2020-573(s)—नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-736 दिनांक 10.02.2020 में उल्लेख है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-1073, दिनांक-31.01.2020 द्वारा पटना शहर में जल-जमाव के लिए गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। इस उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन में पथ निर्माण विभाग से बुडको में प्रतिनियुक्त श्री योगेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेख है कि श्री योगेन्द्र कुमार के विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही करने का निदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त है।

2. तदालोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1242 (एस)-सहपठित ज्ञापांक-1243 (एस), दिनांक 14.02.2020 द्वारा श्री योगेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 का नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री कुमार के आवेदन दिनांक 06.10.2020 में अनुरोध किया गया है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 का नियम-9 (7) में निहित प्रावधान के आलोक में चूंकि उनका निलंबन 07 माह से अधिक हो गया है एवं आरोप-पत्र गठित नहीं हो पाया है, इसलिए उन्हें निलंबन मुक्त किया जाय।

4. श्री कुमार के अनुरोध पर समीक्षोपरांत विचार किया गया कि उन्हें निलंबित किये हुए 10 माह से अधिक हो चुका है एवं नगर विकास एवं आवास विभाग से उनके विरुद्ध संशोधित आरोप-पत्र प्राप्त होने में विलम्ब हो जाने के कारण आरोप-पत्र के गठन में विलम्ब हुआ है।

5. अतः सम्यक विचारोपरांत उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री योगेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (7) में निहित प्रावधान के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। इसका इनके विरुद्ध संचालित किये जाने वाले विभागीय कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. श्री कुमार के निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान अनुमान्य होगा और निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निर्णय इनके विरुद्ध संचालित किये जाने वाले विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

7. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

27 जनवरी 2021

सं० निग/सारा- (न०वि०) आरोप-11/2020-575(s)—नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-736 दिनांक 10.02.2020 में उल्लेख है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-1073, दिनांक-31.01.2020 द्वारा पटना शहर में जल-जमाव के लिए गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। इस उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन में पथ निर्माण विभाग से बुडको में प्रतिनियुक्त श्री संजीव चौधरी, कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेख है कि श्री संजीव चौधरी के विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही करने का निदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त है।

2. तदालोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1246 (एस)-सहपठित ज्ञापांक-1247 (एस), दिनांक 14.02.2020 द्वारा श्री संजीव चौधरी, कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 का नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री चौधरी के आवेदन दिनांक 06.10.2020 में अनुरोध किया गया है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 का नियम-9 (7) में निहित प्रावधान के आलोक में चूंकि उनका निलंबन 07 माह से अधिक हो गया है एवं आरोप-पत्र गठित नहीं हो पाया है, इसलिए उन्हें निलंबन मुक्त किया जाय।

4. श्री चौधरी के अनुरोध पर समीक्षोपरांत विचार किया गया कि उन्हें निलंबित किये हुए 10 माह से अधिक हो चुका है एवं नगर विकास एवं आवास विभाग से उनके विरुद्ध संशोधित आरोप-पत्र प्राप्त होने में विलम्ब हो जाने के कारण आरोप-पत्र के गठन में विलम्ब हुआ है।

5. अतः सम्यक विचारोपरांत उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य श्री संजीव चौधरी, कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (7) में निहित प्रावधान के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। इसका इनके विरुद्ध संचालित किये जाने वाले विभागीय कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. श्री चौधरी के निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान अनुमान्य होगा और निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निर्णय इनके विरुद्ध संचालित किये जाने वाले विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

7. श्री चौधरी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचनाएं

17 फरवरी 2021

सं० 2/बि०व०से०(स्था०)-03/2018-495/प०व०—श्री नरेश प्रसाद, बि०व०से०, उप वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी को स्थानांतरित करते हुए उन्हें वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया वन प्रमंडल, अररिया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-496/प०व०—श्री एम०जे० अली, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय— वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया को स्थानांतरित करते हुए उन्हें वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली वन प्रमंडल, वैशाली के रिक्त पद पर अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-497/प०व०—श्री नरेश प्रसाद, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय— वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल-1, बेतिया को स्थानांतरित करते हुए उन्हें वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी वन प्रमंडल, सीतामढ़ी के पद पर अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-498/प०व०—श्री शशि भूषण प्रसाद, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय— वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा को स्थानांतरित करते हुए उन्हें प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के कार्यालय में अपने ही वेतनमान में उप वन संरक्षक के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-499/प०व०—श्री आर०के० सिन्हा, बि०व०से०, उप निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को स्थानांतरित करते हुए उन्हें वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा वन प्रमंडल, सहरसा के रिक्त पद पर अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ह०/—अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

9 फरवरी 2021

सं० वन्यप्राणी-08/07-116(ई०) /प०व०ज०प०—वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा-38 X के अंतर्गत गठित वाल्मीकि व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन/न्यास नियमावली, 2010 के नियम 1.9 के प्रावधानों के अनुरूप पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-176(ई०) दिनांक-29.03.2016 के क्रमांक-9 को संशोधित करते हुए वाल्मीकि व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन के शासी परिषद् (Governing Body) का निम्नांकित रूप से पुनर्गठन किया जाता है :-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार | — | अध्यक्ष |
| 2. प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार | — | उपाध्यक्ष |
| 3. प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार | — | सदस्य |
| 4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार | — | सदस्य |
| 5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह— मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार | — | सदस्य सचिव |
| 6. क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना, बेतिया | — | सदस्य |
| 7. उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल-I, बेतिया | — | सदस्य |
| 8. उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल-II, बेतिया | — | सदस्य |
| 9. श्री राम सिंह, सदस्य, विधान सभा, बगहा, विधान सभा क्षेत्र | — | सदस्य |
| 10. अध्यक्ष, जिला परिषद्, प० चम्पारण | — | सदस्य |
| 11. डॉ० समीर सिन्हा, मैनेजर, वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, नोएडा (एन०सी०आर०) | — | सदस्य |

2. शासी परिषद् के जो सदस्य बिहार सरकार के अंतर्गत विभिन्न पदों के पदधारक की हैसियत से सदस्य हैं, इस फाउण्डेशन के स्थायी सदस्य होंगे और उक्त पद के पदधारण की अवधि तक ही सदस्य रहेंगे।

3. क्रमांक-9 के सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किये गये हैं और इन नामित सदस्यों का कार्यकाल, अधिसूचना निर्गत की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा।

4. शासी परिषद् की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार होगी जिसके लिए समय तिथि और स्थान का निर्धारण परिषद् के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

8 फरवरी 2021

सं० 15/एम 1-09/2014-323--बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम 2018 की धारा 21 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के कार्यान्वयन हेतु एतद् द्वारा निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।**— (1) यह नियमावली बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् नियमावली-2020 कही जा सकेगी।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. **परिषद् के उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा निबंधन एवं शर्तें।**—

(1) परिषद् के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति के समतुल्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमान्य वेतन एवं भत्ते अनुमान्य होंगे।

(2) परिषद् के मनोनीत सदस्यों को परिषद् के प्रत्येक बैठक के लिए रु. 5,000 (पाँच हजार) प्रति बैठक मानदेय का भुगतान किया जाएगा एवं उन्हें आवागमन हेतु यात्रा-भत्ता देय होगा।

(3) राज्य सरकार में पूर्णकालिक आधिकारिक पद पर आसीन मनोनीत सदस्य राज्य सरकार में उनके पद के पंक्ति के लिए अनुमान्य नियमानुकूल यात्रा भत्ता अथवा दैनिक भत्ता अपने मूल संगठन अथवा निकाय से प्राप्त कर सकेंगे।

3. **उपाध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कृत्य।**—(1) परिषद् के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(2) परिषद् के उपाध्यक्ष विशिष्ट रूप में उन शक्तियों का अनुप्रयोग कर सकेंगे जो अध्यक्ष द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन कर उन्हें सौंपा गया हो।

4. **सदस्य सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक की सेवा निबंधन एवं शर्तें।**—

(1) सदस्य सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा सम्वर्ग के उच्च शिक्षा के प्रभारी सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव होंगे, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) सदस्य सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक को बिहार राज्य में उनके पद की पंक्ति के पदाधिकारियों को अनुमान्य भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ अनुमान्य होगी।

5. **सदस्य सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक की शक्तियाँ एवं कृत्य।**—

(1) सदस्य सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा —

(क) परिषद् के कार्यों एवं घटनाओं के सम्यक् प्रशासन तथा परिषद् की योजनाओं तथा बजट का सूत्रण।

(ख) सभी कर्मियों के कर्तव्यों को विहित करना।

(ग) सभी कर्मियों के शर्त एवं आचरण पर पूर्ण अनुशासनिक एवं अनुश्रवण की शक्ति।

(घ) परिषद् के सभी गतिविधियों का संचालन/सामान्य अनुश्रवण एवं समन्वय एवं परिषद् के व्ययों में नियमानुसार वित्तीय अनुशासन का पालन।

(ङ) परिषद् की ओर से सभी प्रकार के अनुबंध, कृत्य एवं अन्य साधनों/उपकरणों का क्रियान्वयन।

(च) परिषद् के सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक की वित्तीय शक्तियाँ राज्य सरकार में उनके पद के पंक्ति के पदाधिकारियों के समतुल्य होंगी। आवश्यकतानुसार एवं नियमानुकूल प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा।

(2). सदस्य सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक लिखित रूप में, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, अपनी शक्तियों को परिषद् में किसी कनीय पदाधिकारी/पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3). सदस्य सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक परिषद् की बैठक हेतु सूचना निर्गत करने से पूर्व बैठक की कार्यवाही का एजेण्डा तैयार कर उस पर अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी होगा। वह बैठक की कार्यवाही के संधारण एवं नियमानुकूल अनुपालन के लिए भी पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

06. **अवशिष्ट मामले।**— ऐसे मामले में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हैं; शिक्षा विभाग द्वारा स्वयं या संबंधित विभाग के परामर्श से स्पष्ट किये जायेंगे।

07. **कठिनाई का निराकरण।**— शिक्षा विभाग, समय-समय पर, ऐसा सामान्य या विशेष निदेश विधि विभाग या संबंधित विभाग के परामर्श के पश्चात् जारी कर सकेगा, जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

08. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**—

(1) इस विषय पर पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश में प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया कार्य या की

गयी कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य का कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
असंगबा चुबा आओ, सचिव।

The 8th February 2021

No. 15/M 1-09/2014--323---In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 of the Bihar State Higher Education Council Act, 2018, the Governor of Bihar hereby makes the following rules :-

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Bihar State Higher Education Council Rules, 2020.
(2) It shall come into force with immediate effect.
2. **Terms and Conditions of service of Vice-Chairman and nominated members :-**
(1) A person who is appointed as Vice-Chairman of the Council shall be paid such pay, allowances and other facilities as admissible to the Vice-Chancellor of a University in the State of Bihar from time to time.
(2) The nominated members shall be paid an honorarium of Rs. 5000/- (Five thousand) and admissible travelling allowance.
(3) Where nominated members are holding full-time official positions, they may draw traveling allowance and daily allowance from the organization or body in which they hold a fulltime official post in accordance with the rules in force.
3. **Powers and functions of the Vice-Chairman :-**
(1) The Vice-Chairman shall preside over the meetings of the Council in the absence of the Chairman.
(2) The Vice-Chairman shall exercise the powers which may be specifically delegated to him by the Chairman.
4. **Terms and conditions of service of the Member-Secretary-cum-State Project Director :-**
(1) The member Secretary-Cum- State Project Director shall be a person of Indian Administrative Service cadre, who is incharge Secretary/Special Secretary/ Additional Secretary of Higher Education. He shall be appointed by the State Government.
(2) The Member-Secretary-cum-State Project Director shall be entitled to avail all allowances and other facilities admissible to an officer of the same rank in the State of Bihar.
5. **Powers and functions of the Member-Secretary-cum-State Project Director :-**
1. Member Secretary-cum-State Project Director shall be the Chief Executive Officer and shall be responsible for the following :-
(a) The proper administration of the affairs and events of the Council along with drafting of budget and schemes of the Council.
(b) Prescribing the duties of its employees;
(c) Overall supervision and disciplinary control over the functioning and conduct of its employees;
(d) Co-ordinating and exercising overall general supervision on all the activities and administrative control over expenditure of the Council as per rules.
(e) Executing all contracts, deeds and other instruments on behalf of the council; and
(f) The financial powers of SPD-cum-Secretary of SHEC shall be equivalent to the rank of an officer in the State Government. In financial matters SPD-cum-

- Secretary shall take approval from the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/State Higher Education Council as per rules and requirement.
2. The Member-Secretary-cum-State Project Director may, in writing, delegate powers as deemed fit to any subordinate officer/officers of the Council.
 3. The Member-Secretary-cum-State Project Director shall be responsible for preparing the agenda for meetings of the Council and shall take approval from the Chairman before notices of the meetings of the Council are issued. He shall also be responsible for keeping or causing to be kept, minutes of the proceedings as well as compliance of the decisions of meetings of the Council.
06. **Residual Matters** – Such matters which are not specially covered under these rules, the Education Department or with the advice of the Department concerned, shall explain the status.
07. **Removal of difficulties** – Education Department, from time to time, may issue such general or specific directives with advice from Law Department or other department concerned, which is deemed fit to be issued to address the difficulties arising in the implementation of the provisions of the Rules.
08. **Repeal & Saving** –
- (1) All the resolutions and directives issued on the subject hereby stand repealed.
 - (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Rules/Order/Resolution shall be deemed to have been done or taken under these Rules as if these rules were in force on the day or which such thing or action was done or taken.

By the order of Governor of Bihar,
Sd./Illegible, Secretary.

मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचनाएं

17 फरवरी 2021

सं० 8/आ० (राज० नि०)-05-04/2015-630—श्री अरविन्द कुमार खों, तत्का० अवर निबंधक, तेघड़ा (बेगुसराय) के विरुद्ध सरकारी राशि का दुरुपयोग, अनुशासनहीनता, गलत बयानी आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-1154 दिनांक 15.04.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विचारोपरान्त श्री खों के विरुद्ध आदेश सं०-440 दिनांक 22.01.2013 द्वारा निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया गया है:-

(i) इनका वेतन वेतनमान के मूल वेतनपर पाँच वर्षों के लिए निर्धारित किया जाता है। इन पाँच वर्षों में इन्हें कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।

(ii) पूर्व में विभागीय ज्ञापांक-2338 दिनांक 11.08.2010 द्वारा दिये गये दण्ड का प्रभाव इसके बाद होगा।

2. उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री अरविन्द कुमार खों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०-17115/2014 दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग का मतव्य प्राप्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निम्नांकित परामर्श दिया गया है:-

(i) न्यायादेश में निदेशित है कि “ in such view of the matter, the order of punishment does not stand and the same is quashed.....” अतः प्रशासी विभाग द्वारा सर्वप्रथम श्री खों के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड आदेश ज्ञापांक-440 दिनांक 22.01.2013 को निरस्त किया जाना होगा।

(ii) श्री खों सम्प्रति सेवानिवृत्त हैं, अतः प्रशासी विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1154 दिनांक 15.04.2011 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में सम्परिवर्तित करने का एक औपचारिक आदेश अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदन से निर्गत किया जाना होगा।

3. सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री अरविन्द कुमार खों, तत्का० अवर निबंधक, तेघड़ा (बेगुसराय) सम्प्रति सेवा निवृत्त के विरुद्ध अधिरोपित दंडादेश आदेश सं०-440 दिनांक 22.01.2013 को विभागीय अधिसूचना

सं०-3099 दिनांक 30.09.2020 द्वारा निरस्त करते हुए संकल्प सं०-3104 दिनांक 30.09.2020 द्वारा श्री खों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम-43 (बी०) के तहत सम्पत्तिवर्तित किया गया।

4. विभागीय पत्रांक-429 दिनांक 29.01.2020 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री खा द्वारा दिनांक 15.02.2020 को अपना बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया। श्री खों द्वारा अपने बचाव वयान में कोई नया तथ्य का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री खों के बचाव वयान को अस्वीकार करते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी०) के तहत 10 (दस) प्रतिशत पेंशन कटौती 03 (तीन) वर्ष तक करने के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-3999 दिनांक 08.12.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अभिमत की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-3024 दिनांक 02.02.2021 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है।

5. उक्त के आलोक में पूर्ण विचारोपरान्त श्री अरविन्द कुमार खों, सेवा निवृत्त अवर निबंधक को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी०) के तहत 10 (दस) प्रतिशत पेंशन की कटौती 03 (तीन) वर्ष तक करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

17 फरवरी 2021

सं० I/E¹ -463/2008 -631—श्री अरविन्द कुमार खों, तत्कालीन अवर निबंधक, शेरघाटी सम्प्रति सेवा निवृत्त के विरुद्ध अनियमितता, कदाचार, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, वैकल्पिक व्यवस्था के बिना अपने कर्तव्य से अनुपस्थिति, विभागीय निर्देशों का उल्लंघन, वरीय पदाधिकारियों के प्रति अमर्यादित व्यवहार, दायित्व के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता आदि आरोप में संकल्प सं०-310 दिनांक 03.02.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में विभागीय संकल्प सं०-2338 दिनांक 11.08.2010 के द्वारा तीन वार्षिक वेतनवृद्धियों संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री खों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C No. 13112/2012 दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2017 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध L.P.A. No. 518/2018 दायर किया गया। उक्त अपील वाद में दिनांक 08.01.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता का मंतव्य प्राप्त किया गया। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा मंतव्य दिया गया है कि “It is admitted position that Sri Khan has been served with charge memo, and Enquiry Officer after enquiry has submitted his report. Therefore in my considered opinion, the department may restart the proceeding from the stage of service of enquiry report to the delinquent.”

2. एक अन्य समरूप मामले में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परामर्श प्राप्त किया गया है, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दंडादेश को निरस्त करने एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में सम्पत्तिवर्तित करने का एक औपचारिक आदेश अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदन से निर्गत किया जाना होगा।

3. उक्त के आलोक में विभागीय श्री अरविन्द कुमार खों, तत्का० अवर निबंधक, शेरघाटी सम्प्रति सेवा निवृत्त के विरुद्ध संकल्प सं०-2338 दिनांक 11.08.2010 द्वारा अधिरोपित दंडादेश को अधिसूचना सं०-3351 दिनांक 19.10.20 द्वारा निरस्त करते हुए श्री खों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को संकल्प सं०-3353 दिनांक 19.10.2020 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी०) के तहत सम्पत्तिवर्तित किया गया है।

4. विभागीय पत्रांक-1328 दिनांक 27.04.2020 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर आरोपी पदाधिकारी श्री खों से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी। श्री खा द्वारा दिनांक 30.06.2020 को अपना बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया। श्री खों द्वारा अपना बचाव वयान तर्कसंगत एवं साक्ष्य आधारित नहीं दिया गया। श्री खों के बचाव वयान को अस्वीकार करते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी०) के तहत 05 (पाँच) प्रतिशत पेंशन कटौती 03 (तीन) वर्ष तक करने का निर्णय लेते हुए विभागीय प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-4000 दिनांक 08.12.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अभिमत की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-3023 दिनांक 02.02.2021 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है।

5. उक्त के आलोक में पूर्ण विचारोपरान्त श्री अरविन्द कुमार खों, सेवा निवृत्त अवर निबंधक को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी०) के तहत 05 (पाँच) प्रतिशत पेंशन की कटौती 03 (तीन) वर्ष तक करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

अधिसूचना

18 फरवरी 2021

सं० कारा/स्था० (चि०) 01-03/2016/1555—स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1017(2) दिनांक 11.09.2020 द्वारा डा० शिमैला हैदर, चिकित्सा पदाधिकारी की सेवा गृह विभाग (कारा) को सौंपी गई थी।

2. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-6566 दिनांक-22.09.2020 द्वारा डा० शिमैला हैदर, चिकित्सा पदाधिकारी का पदस्थापन मंडल कारा, गोपालगंज के पद पर किया गया था। डा० हैदर द्वारा अपनी सेवा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वापस करने का अनुरोध किया गया है।

3. डा० शिमैला हैदर, चिकित्सा पदाधिकारी (नियमित), मंडल कारा, गोपालगंज के अनुरोध के आलोक में उनकी सेवा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वापस की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

Home Department
(Police Branch)

NOTIFICATION

The 17th February 2021

No. 7/CCA-1026/2001 H(P)--1404---Consequent upon superannuation of Hon'ble Mr. Justice Hemant Kumar Srivastava, Patna High Court, who was Chairman of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :

1. Bihar Control of Crimes Act, 1981
2. National Security Act, 1980
3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and
4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :

Hon'ble Mr. Justice **Shivaji Pandey**

Chairman

Hon'ble Justice **Smt. Rekha Kumari** (Retd.)

Member

Hon'ble Mr. Justice **Gopal Prasad** (Retd.)

Member

The reconstitution will come into effect with the issue of the notification

By the order of the Governor of Bihar,
Girish Mohan Thakur, Under Secretary .

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

9 फरवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14(मुं०)खग०-04/2019-382748--श्री राज कुमार पंडित, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौथम, खगड़िया के विरुद्ध जिला पदाधिकारी खगड़िया के पत्रांक-1064 दिनांक 29.11.2019 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। आरोप पत्र में वर्णित है कि ग्राम पंचायत राज तेलौछ के बी०आर०जी०एफ० योजना सं०-2/14-15 की जाँच में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा स्थल पर कार्य किये बगैर 3,02,500.00 (तीन लाख दो हजार पाँच सौ रूपये मात्र) का गबन करने वाले आरोपित पंचायत सचिव श्री सरदार चौधरी पर स्थानीय थाना में कांड सं०-129/19 दिनांक 07.09.2019 दर्ज कराया गया किन्तु दोषी तत्कालीन मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज नहीं कराकर उन्हें बचाने का प्रयास किया गया। यह उनके स्वेच्छारिता एवं सरकारी कार्य में लापरवाही का द्योतक है।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

श्री राज कुमार पंडित के विरूद्ध गठित आरोप पत्र एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री पंडित के द्वारा पंचायत सचिव के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी के साथ ही मुखिया पर भी प्राथमिकी दर्ज कराया जाना चाहिए था परन्तु श्री राज कुमार पंडित, प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौथम द्वारा लापरवाही बरती गयी एवं विलम्ब से अनुरोध किया गया।

अतः श्री कुमार को चेतावनी का दंड दिया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के चारित्र्य में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

11 फरवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (भा०) भा०-10/2019-385269--श्री विजय कुमार सौरभ, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शाहकुण्ड सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कहलगँव, भागलपुर के विरूद्ध आयुक्त भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पत्र संख्या-62-02/2015-275 दिनांक 16.07.2017 द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-42 (प्र०) दिनांक 13.09.2019 द्वारा गठित आरोप पत्र प्राप्त हुआ। आरोप पत्र में प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण, लोहिया स्वच्छ बिहार, अभियान के क्रियान्वयन में लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना का आरोप श्री सौरभ के विरूद्ध गठित है। साथ ही आयुक्त भागलपुर प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित आरोपों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शाहकुण्ड, भागलपुर द्वारा मुख्यालय में आवासित नहीं रहने, उनका आचार व्यवहार एवं भाषा संयमित न होने का आरोप प्रतिवेदित है।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पर श्री सौरभ से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत श्री सौरभ का स्पष्टीकरण संतोषप्रद एवं तथ्यपरक नहीं पाया गया।

अतः श्री विजय कुमार सौरभ, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शाहकुण्ड सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कहलगँव, भागलपुर के विरूद्ध लघुदंड के रूप में चेतावनी का दंड दिया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री सौरभ के चारित्र्य में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

11 फरवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (भा०) बाँका-01/2017-385331--श्री अमित कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रजौन (बाँका) सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा, मधेपुरा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक-1243 दिनांक 24.07.2017 द्वारा गठित आरोप पत्र प्राप्त हुआ। आरोप पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता, आदेश की अवहेलना, बैठक में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित है।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, रजौन के रूप में सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी है। उनके द्वारा समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित रहने तथा सरकारी अवहेलना नहीं करने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः श्री अमित कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रजौन (बाँका) सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा, मधेपुरा को लघुदंड के रूप में चेतावनी का दंड दिया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के चारित्र्य में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

9 फरवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (म०) औरं-01/2019-382732--श्री मनोज कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुटुम्बा, औरंगाबाद सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोकामा, पटना के विरूद्ध राज्य सूचना आयोग के ज्ञापांक-7562 दिनांक 15.03.2019 द्वारा आवेदक को ससमय वांछित सूचना प्रदान नहीं करने के कारण अधिनियम की धारा-20 (2) के तहत नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा आवेदक को ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः श्री कुमार को चेतावनी का दंड दिया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

9 फरवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (म०) गया-11/2019-382697—श्री आनन्द प्रकाश प्रखंड विकास पदाधिकारी, वजीरगंज, गया के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-3112 दिनांक 28.10.2019 द्वारा आरोप से संबंधित पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में श्री आनन्द प्रकाश के विरूद्ध कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना का आरोप प्रतिवेदित है।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पर श्री आनन्द प्रकाश से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री आनन्द प्रकाश द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, वजीरगंज द्वारा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरती गयी है जिसके फलस्वरूप योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं रही। उनके द्वारा सरकारी आदेश की अवहेलना भी की गयी।

अतः श्री आनन्द प्रकाश, प्रखंड विकास पदाधिकारी, वजीरगंज, गया को चेतावनी का दंड दिया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

11 फरवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (म०) अर०-02/2020-385344--श्री सुशील कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अरवल के विरूद्ध समाहरणालय, अरवल के पत्रांक-827 दिनांक 17.06.2020 द्वारा सरौती पैक्स में बिना छानबीन किये बिहार सहकारी सोसाईटी नियामावली 1959 के नियम 7(4) के तहत 245 व्यक्तियों को सदस्य बनाने एवं पुनः सदस्यता वापस (जिसके लिए वे अधिकृत नहीं हैं) लेने का आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

श्री सुशील कुमार के विरुद्ध गठित आरोप पत्र एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सुशील कुमार के द्वारा जांचोपरान्त सदस्यता रद्द की गयी थी परंतु उक्त हेतु वे सक्षम प्राधिकार नहीं थे।

अतः श्री कुमार के विरुद्ध 'विधि निर्धारित प्राधिकार एवं प्रक्रिया की अवहेलना' के लिए लघु दंड के रूप में चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के चारित्र्य में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरंगन डी०, सचिव।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

आदेश
12 फरवरी 2021

सं० एल/एच०जी०-14-10/2019-1100—बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना के पत्रांक-2484 दिनांक 14.05.2019, पत्रांक-3467 दिनांक-24.07.2019, पत्रांक-4538 दिनांक 10.10.2019, पत्रांक-5296, दिनांक 03.12.2019 द्वारा श्री पवन कुमार सिंह, सेवानिवृत्त वरीय जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, दरभंगा द्वारा स्वयं की चिकित्सा हेतु दिनांक-26.05.2019 से 20.01.2020 तक रूपांतरित अवकाश, पत्रांक-371 दिनांक 24.01.2020, पत्रांक-1112 दिनांक-03.03.2020, पत्रांक-1812 दिनांक 27.04.2020 द्वारा दिनांक 22.12.2019 से 18.06.2020 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

2. पुनः बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना के पत्रांक-2917, दिनांक 21.08.2020 द्वारा श्री सिंह को दिनांक 22.12.2019 से 30.06.2020 तक 192 (एक सौ बानवे) दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

3. विभागीय आदेश ज्ञापांक-5969, दिनांक 31.05.2019 के द्वारा श्री सिंह को स्वयं की चिकित्सा कराने हेतु अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की गई। उक्त विभागीय आदेश एवं मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के ज्ञापांक-2916, दिनांक 14.06.2019 के आलोक में श्री सिंह द्वारा दिनांक 24.06.2019 के अपराह्न में अपना प्रस्थान प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

4. समीक्षोपरान्त श्री पवन कुमार सिंह, सेवानिवृत्त वरीय जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, दरभंगा द्वारा स्वयं की चिकित्सा हेतु दिनांक 25.06.2019 से 30.06.2020 तक उपभोगित अवकाशों की बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के तहत दिनांक 25.06.2019 से 21.12.2019 तक कुल 180 दिनों का रूपांतरित अवकाश, नियम-227, 230 एवं 248(क) संशोधित के तहत दिनांक 22.12.2019 से 17.01.2020 तक कुल 27 दिनों का उपार्जित अवकाश एवं नियम-232 के तहत दिनांक 18.01.2020 से 30.06.2020 तक कुल 165 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
विमलेश कुमार झा, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 43-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 225---I, NIKHIL Gupta, aged about 52 years S/o Sri Shash Pal Gupta R/O- 204 S.P Griham, Block- A, Ram Nagari, Ashiyana Nagar, Patna-800025, my son's name has been changed from old name Mridul Gupta to new name Mridul Mahajan. Affidavit No. 11444, dated 03-12-2020.

Nikhil Gupta.

No. 226—I, SUNIL Kumar, S/o Shri Shyam Nandan Singh Resident of village-Angari, Post-Shankerpur Imamganj P.S.-Kinjar Distt. Arwal, Pin-804426 Bihar, posted as Section Officer, Labour Resources Department, Niyojan Bhawan, Patna, Bihar presently residing at 205/Secular Heritage Apartment, Gola Road, Ram Jaipal Nagar, Patna-801503 do hereby affirm that I have been awarded Ph.D degree (Certificate id: 171, Dated-04-01-2020) from Patna University, Patna, So, I declare vide affidavit no. 11615, Dated-07.12.2020 that henceforth, I shall be known as Dr Sunil Kumar for all the future purposes.

SUNIL Kumar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 43-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 15/पी 5-07/2018—367
शिक्षा विभाग

संकल्प

13 फरवरी 2021

विषय:- सुशासन के कार्यक्रम 2020-2025 के तहत मुख्यमंत्री कन्या (उत्थान) योजना अन्तर्गत उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से इन्टर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित कन्याओं को रू० 25,000/- (पच्चीस हजार) मात्र एवं स्नातक/समकक्ष उत्तीर्ण होने पर अविवाहित/विवाहित छात्राओं को रू० 50,000/- (पचास हजार) मात्र की आर्थिक सहायता की स्वीकृति के संबंध में।

कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल-विवाह पर अंकुश लगाने, प्रजनन दर में कमी लाने तथा कन्याओं के उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत **मुख्यमंत्री कन्या (इन्टर/स्नातक) प्रोत्साहन योजना** संचालित है।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या 955, दिनांक 15.12.2020 द्वारा सुशासन के कार्यक्रमों को लागू करने तथा इसके कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इसके तहत सशक्त महिला, सक्षम महिला के तहत, "उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रेरित करने के लिए इन्टर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित कन्याओं को रू० 25,000/- (पच्चीस हजार) मात्र तथा स्नातक/समकक्ष उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को रू० 50,000/- (पचास हजार) मात्र की आर्थिक सहायता दी जानी है।"

3. उपर्युक्त के आलोक में सुशासन के कार्यक्रम 2020-2025 के तहत मुख्यमंत्री कन्या (उत्थान) योजना अन्तर्गत उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से (क) बिहार राज्य क्षेत्रान्तर्गत राजकीय/राजकीयकृत गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक/माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक अनुदानित विद्यालयों (प्रोजेक्ट विद्यालयों सहित) प्रस्वीकृत एवं संबद्धता प्राप्त विद्यालय/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत, मदरसा/संस्कृत से इन्टर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित कन्याओं को रू० 25,000/- (पच्चीस हजार) मात्र तथा

(ख) परिशिष्ट-1 में अंकित बिहार राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों (संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय सहित) से स्नातक/समकक्ष उत्तीर्ण होने पर अविवाहित/विवाहित छात्राओं को रू० 50,000/- (पचास हजार) मात्र की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज, उप-सचिव।

परिशिष्ट-1		
State Universities		
Sl. No.	Name of University	Location
1	Patna University	Patna
2	Magadh University	Bodhgaya
3	Patliputra University	Patna

4	Veer Kunwar Singh University	Arrah
5	Jai Prakash University	Chhapra
6	Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University	Darbhangha
7	Lalit Narayan Mithila University	Darbhangha
8	Bhupendra Narayan Mandal University	Madhepura
9	Purnea University	Purnea
10	Tilka Manjhi Bhagalpur University	Bhagalpur
11	Munger University	Munger
12	B. R. Ambedkar Bihar University	Muzaffarpur
13	Maulana Mazharul Haque Arabic and Persian University	Patna
14	Nalanda Open University	Patna
15	Aryabhatta Knowledge University	Patna

Central Universities

Sl. No.	Name of University	Location
1	Aligarh Muslim University	Kishanganj
2	Central University of South Bihar	Gaya
3	Nalanda University	Rajgir, Nalanda
4	Mahatma Gandhi Central University	Motihari
5	Indira Gandhi National Open University	Patna

Agriculture/ Animal and Fisheries Department

Sl. No.	Name of University	Name of College
1	Bihar Agricultural University, Sabour, Bhagalpur	1. Bihar Agricultural College, Sabour
		2. Mandan Bharti Agricultural College, Saharsa

		3. Bhola Paswan Shastri Agricultural College, Purnea
		4. Veer kunwar Singh College of Agriculture, Dumraon
		5. Udyan College , Noorsarai
		6. Dr. Kalam Agricultural College, Kishanganj
2	Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, Samastipur	1. Tirhut College of Agriculture, Dholi
		2. College of Fisheries, Dholi
		3. College of Basic Sciences & Humanities, Pusa
		4. College of Community Science, Pusa
		5. College of Agricultural Engineering, Pusa
		6. Pt. Deen Dayal Upadhyay College of Horticulture and Forestry, Piparakothi
3	Bihar Animal Sciences University, Patna	1. Bihar Veterinary College, Patna
		2. Sanjay Gandhi Institute of Dairy Technology, Patna
		3. College of Fisheries, Kishanganj
Law University		
Sl. No.	Name of University	Location
1	Chanakya National Law University	Patna
Management Institutes		
Sl. No.	Name of Institute	Location
1	Indian Institute of Management	Bodh Gaya
2	Lalit Narayan Mishra Institute of Economic Development and Social Change, Patna	Patna
3	Chandragupt Institute of Management	Patna

Central Govt. Engineering Institutes		
Sl. No.	Name of Institute	Location
1	Central Institute of Plastics Engineering & Technology, Hajipur (CIPET)	Hajipur
2	IRIMEE, Jamalpur, Munger	Jamalpur, Munger
3	Indian Institute of Technology	Bihta, Patna
4	National Institute of Technology	Patna
5	Indian Institute of Information Technology	Bhagalpur
Science & Technology Department (38 Govt. Engineering Colleges)		
Sl. No.	Name of Engineering College	Location
1	Government Engineering College, Nawada	Nawada
2	Government Engineering College, Aurangabad	Aurangabad
3	Government Engineering College, Jehanabad	Jehanabad
4	Government Engineering College, Arwal	Arwal
5	Government Engineering College, Bhojpur	Arah
6	Government Engineering College, Buxar	Buxar
7	Government Engineering College, Munger	Munger
8	Government Engineering College, Lakhisarai	Lakhisarai
9	Government Engineering College, Khagaria	Khagaria
10	Government Engineering College, Sheikhpura	Sheikhpura

11	Government Engineering College, Samastipur	Samastipur
12	Government Engineering College, Gopalganj	Gopalganj
13	Government Engineering College, Siwan	Siwan
14	Government Engineering College, Kaimur	Kaimur
15	Phanishwar Nath Renu Engineering College, Araria	Araria
16	Government Engineering College, Kishanganj	Kishanganj
17	Government Engineering, Sheohar	Sheohar
18	Government Engineering College, West Champaran	West Champaran
19	Government Engineering College, Madhubani	Madhubani
20	Darbhanga College of Engineering, Darbhanga	Darbhanga
21	Gaya College of Engineering, Gaya	Gaya
22	Rashtrakavi Ramdhari Singh Dinkar College of Engineering	Begusarai
23	B.P.Mandal College of Engineering	Madhepura
24	Supaul College of Engineering, Supaul	Supaul
25	Bakhtiyarpur College of Engineering, Bakhtiyarpur	Bakhtiyarpur, Patna
26	Sitamarhi Institute of Technology	Sitamarhi
27	Saharsa College of Engineering	Saharsa
28	Purnea Engineering College	Purnea
29	Muzaffarpur Institute of Technology	Muzaffarpur

30	Government Engineering College, Banka	Banka
31	BCE (Bhagalpur College of Engineering)	Bhagalpur
32	Motihari College of Engineering	Motihari
33	Loknayak Jai Prakash Institute of Technology	Chhapra
34	Katihar Engineering College, Katihar	Katihar
35	Shershah Engineering College	Sasaram
36	Government Engineering College, Jamui	Jamui
37	Government Engineering College, Vaishali	Vaishali
38	Nalanda College of Engineering	Chandi

State Medical Colleges			
Sl. No.	Name of the College	Place	University
1	Anugrah Narayan Magadh Medical College and Hospital	Gaya	Aryabhatta Knowledge University
2	Darbhanga Medical College and Hospital	Darbhanga	Aryabhatta Knowledge University
3	Government Medical College, Bettiah	Bettiah	Aryabhatta Knowledge University
4	Jawaharlal Nehru Medical College and Hospital	Bhagalpur	Aryabhatta Knowledge University
5	Jan Nayak Karpuri Thakur Medical College	Madhepura	Aryabhatta Knowledge University
6	Patna Medical College and Hospital	Patna	Aryabhatta Knowledge University
7	Nalanda Medical College and Hospital	Patna	Aryabhatta Knowledge University

8	Sri Krishna Medical College and Hospital	Muzaffarpur	Aryabhatta Knowledge University
9	Vardhman Institute of Medical Sciences	Pawapuri	Aryabhatta Knowledge University
10	All India Institute of Medical Sciences	Patna	Autonomous Institute Under Union
11	Indira Gandhi Institute of Medical Science	Patna	Autonomous Institute Under State
12	National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Patna	Hajipur	Central Pharmaceutical College
Government Ayurvedic Colleges			
Sl. No.	Name of the College	Place	University
1	Government Ayurvedic College And Hospital, Patna	Patna	Aryabhatta Knowledge University (AKU), Patna
2	Government Tibbi College & Hospital	Patna	Aryabhatta Knowledge University (AKU), Patna
3	Government Ayurvedic College And Hospital, Begusarai	Begusarai	Aryabhatta Knowledge University (AKU), Patna
Government Homoeopathic College			
Sl. No.	Name of college	Place	University
1	RBTS Government Homoeopathic Medical College and Hospital	Muzzafarpur	B.R.A Bihar University
Government Pharmacy Colleges			
Sl. No.	Name of College	Place	University
1	Muzaffarpur Institute of Technology - MIT		Aryabhatta Knowledge University (AKU), Patna
2	Government Pharmacy Institute Agamkuan	Patna	Aryabhatta Knowledge University (AKU), Patna

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज, उप-सचिव।

सं० कारा/नि०को०(मु०क०)-09-02/2018-1471

**कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)**

संकल्प

17 फरवरी 2021

श्री मोती लाल, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ (सम्प्रति निलंबित) संलग्न मंडल कारा, हाजीपुर के विरुद्ध प्रावधान के विपरीत कारा के अन्दर बाहरी कारीगर को बुलाकर विशेष प्रकार के पकवान बनवाने, काफी बड़ी मात्रा में सामग्रियों का बिना गेट पंजी में प्रविष्टि के जेल में प्रवेश कराने, जेल की महत्वपूर्ण पंजियों का संधारण नियमानुसार नहीं करने, प्रावधान के विपरीत संसीमित बंदी राजबल्लभ यादव को देय सुविधाओं के विपरीत अतिरिक्त सुविधाएँ मुहैया कराने एवं अन्य प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1848 दिनांक 26.03.2016 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी।

2. विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3786 दिनांक 17.07.2017 द्वारा श्री मोती लाल, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 (ix) के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :-

“अनिवार्य सेवानिवृत्ति”।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3786 दिनांक 17.07.2017 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री मोती लाल द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री मोती लाल के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षापरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5738 दिनांक 06.10.2017 द्वारा श्री मोती लाल के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

4. उपर्युक्त दंडादेश एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी आदेश के विरुद्ध श्री मोती लाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-620/2018 दायर किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2018 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3786 दिनांक 17.07.2017 एवं 5738 दिनांक 06.10.2017 को निरस्त कर दिया गया।

5. उपरोक्त न्यायादेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में L.P.A No.-1661/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 02.01.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णय पारित किया गया, जिसका कार्यशील अंश निम्नवत् है :-

“In view of what has been concluded by us herein above, we partly allow this appeal and set aside the impugned judgment to the extent that the enquiry proceedings shall re-commence from the stage of leading of oral evidence by the appellants and the respondent-petitioner shall be given an opportunity to rebut the same and lead his defense in whatever possible manner he may so choose to in the enquiry proceedings. For this, the matter stands remitted to the enquiry officer who shall conduct the enquiry expeditiously and conclude the same, but not later than three months from today. The respondent-petitioner shall cooperate in the enquiry so that the enquiry is concluded within the time as directed above.

One of the submissions raised by Sri Verma, learned counsel for the State of Bihar, is that in view of Rule 9(5) of 2005 Rules, the respondent-petitioner should not be allowed any consequential benefits. On this, Sri Bindhyachal Singh, learned counsel for the respondent-petitioner, contends that the recommencement of the enquiry should not deprive the respondent petitioner of his service benefits to which he is entitled inasmuch as the punishment order has been set aside by the learned Single Judge. Ordinarily, the consequences of the setting aside of a punishment order does result in all the consequential benefits to which an employee may be entitled, but in this regard, we find that the procedural lapses on the part of the respondents has led to the conclusions drawn by us hereinabove and in which situation Rule 9(5) of 2005 Rules is clearly attracted. We, therefore, clarify that the respondent-petitioner shall remain under suspension till the conclusion of the enquiry and shall be entitled to receive subsistence allowance only. The respondent-petitioner shall be entitled to his arrears of subsistence allowance as well, keeping in view the provisions of Rule 9(5) of the 2005 Rules. In the event it is ultimately found on the conclusion of the enquiry that the respondent-petitioner is entitled to any such consequential relief, it shall be open to the disciplinary authority to pass appropriate

orders in this regard as may be necessary after the enquiry concludes and at the time of passing of the final orders by the said authority. The appeal is, therefore, allowed, subject to the directions herein above."

6. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 945 दिनांक 04.02.2019 द्वारा संकल्प ज्ञापांक 3786 दिनांक 17.07.2017 एवं 5738 दिनांक 06.10.2017 को निरस्त करते हुए श्री मोती लाल को सेवा में पुनर्स्थापित किया गया एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-9(5) के तहत श्री मोती लाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि 17.07.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलम्बित किया गया तथा निलम्बनावस्था में उनका मुख्यालय मंडल कारा, हाजीपुर पूर्व की भांति यथावत् रखा गया। साथ ही उनके विरुद्ध पूर्व में संस्थित विभागीय कार्यवाही (संकल्प ज्ञापांक 1848 दिनांक 26.03.2016 द्वारा संसूचित) को पुनः आरम्भ किया गया, जिसके संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना को पूर्व की भांति यथावत् रखा गया।

7. विभागीय कार्यवाही के जाँचोपरान्त संचालन पदाधिकारी-सह-मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक-456 अनु0 दिनांक-17.07.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप संख्या-1, 2, 3, 4, 6 एवं 8 को अंशतः प्रमाणित, आरोप संख्या-05 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या-07 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

8. तदोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापांक-5989 दिनांक-08.09.2020 द्वारा आरोपित पदाधिकारी, श्री मोती लाल को संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

9. तद्आलोक में श्री मोती लाल द्वारा दिनांक 22.09.2020 को द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लिखित किया गया है कि होली के अवसर पर विशेष भोजन बंदी के माध्यम से तैयार करने में भोजन के स्वादिष्ट नहीं होने तथा समय पर तैयार नहीं होने की आशंका के कारण बाहर से रसोइये को बुलाया गया था। जिलाधिकारी द्वारा भोज के संबंध में पृच्छा करने पर गलत बयानी के आरोप के संबंध में उनका कहना है कि हड़बड़ में मटन के स्थान पर चिकन निकल गया होगा। उनका यह भी कहना है कि सामग्री की प्रविष्टि गेट रजिस्टर में नहीं होने के लिए प्रभारी उपाधीक्षक जिम्मेवार होते हैं। उन्होंने पर्यवेक्षण में किसी कमी से इनकार किया है। उनका कहना है कि दिनांक 22.03.2016 से ही होली का त्यौहार प्रारंभ हो गया था; इसलिए उनके द्वारा कारा की सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। दिनांक 23.03.2016 को 11.00 बजे त्रिस्तरीय जाँच समिति द्वारा सभी महत्वपूर्ण पंजियों को अपने पास रख लिया गया था जिसके कारण पंजी वापस किये जाने पर दिनांक 24.03.2016 को संबंधित पंजी में सामग्री की प्रविष्टि उनके आदेश पर प्रभारी उपाधीक्षक द्वारा कर दी गई। उनका कहना है कि अन्य सामग्री का विवरण नहीं रहने के कारण मात्र दो सामग्री चावल एवं मटन की प्रविष्टि नहीं होने के लिए उन्हें पर्यवेक्षण नहीं करने का दोषी मानना उचित नहीं है। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि गेट पंजी का संधारण नियमानुसार गेट वार्डरों के द्वारा ही किया जाता है, परन्तु इसके अभिरक्षक (custodian) उपाधीक्षक होते हैं। जब कभी भंडार पंजी में अंकन करना होता है तो उस समय उपाधीक्षक गेट पंजी अपने पास मंगा लेते हैं।

10. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री मोती लाल द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पाया गया कि संचालन पदाधिकारी का मंतव्य सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विश्लेषण पर आधारित है। दूसरी ओर आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव में परिस्थितिजन्य कारणों का उल्लेख किया गया है जो स्वीकार्य नहीं है। संचालन पदाधिकारी द्वारा पाया गया कि दिनांक 22.03.2016 को कारा में आये सामग्रियों की प्रविष्टि उस दिन reasonable time period में नहीं की गई थी। जाँच दल द्वारा पंजियों को दिनांक 23.03.2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे लिया गया था। दिनांक 22.03.2016 को प्राप्त सामग्री की प्रविष्टि इससे पहले की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई। आरोपित पदाधिकारी द्वारा दो सामग्री की गेट के रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं होने का कोई स्वीकार्य कारण अंकित नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा गठित जाँच समिति के समक्ष आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिये गये लिखित बयान में जिलाधिकारी को मटन की जगह चिकन बनने की गलत सूचना देने का आरोप स्वीकार किया गया है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के स्तर से गठित जाँच समिति के सदस्यों की गवाही एवं दस्तावेजों में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना निष्कर्ष निकाला गया है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने जवाब में कोई साक्ष्य समर्थित बात नहीं कही गई है। पर्व-त्यौहार के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था के प्रति विशेष सतर्कता बरतने के कारण अनुश्रवण कार्य में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। अतः श्री मोती लाल का द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार्य नहीं है।

11. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मोती लाल के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए उन्हें निलंबन से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया :-

- (i) देय तिथि से प्रोन्नति पर पाँच (05) वर्षों तक रोक।
- (ii) संचयात्मक प्रभाव के साथ पाँच (05) वेतनवृद्धियों को रोकने का दण्ड।

12. उपर्युक्त विनिश्चित वृहत् दंड (कंडिका-11-ii) के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 9290 दिनांक 23.12.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3019 दिनांक 02.02.2021 द्वारा दण्ड प्रस्ताव (कंडिका-11-ii) पर सहमति संसूचित की गयी है।

13. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मोती लाल, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारषरीफ (सम्प्रति निलंबित) संलग्न मंडल कारा, हाजीपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए उन्हें निलंबन से मुक्त किया जाता है :-

(i) देय तिथि से प्रोन्नति पर पाँच (05) वर्षों तक रोक।

(ii) संचयात्मक प्रभाव के साथ पाँच (05) वेतनवृद्धियों को रोकने का दण्ड।

14. इनके निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 43-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>